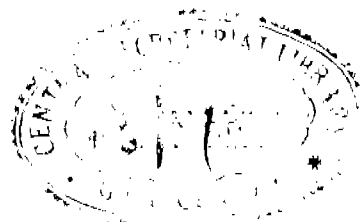


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 2
PART II—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1976/पीष 16, 1897
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1976/PAUSA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

RAJYA SABHA

The following Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or hospitality by certain persons or associations, and for matters connected therewith or incidental thereto, was presented to the Rajya Sabha on Tuesday, the 6th January, 1976:—

COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE

Shri Manubhai Shah—*Chairman*

MEMBERS

Rajya Sabha

2. Shri D. D. Puri
3. Shri Chakrapani Shukla
4. Shri Gulabrao Patil
5. Shri Kali Mukherjee
6. Shri Harsh Deo Malaviya
7. Shri Ganesh Lal Mali
8. Shrimati Pratibha Singh
9. Shri Kasim Ali Abid
10. Shri Emonsing M. Sangma
11. Shri Shamlal Gupta
12. Shri Omprakash Tyagi

- *13. Shri Kalyan Roy
- 14. Shri S. S. Mariswamy
- 15. Shri Sitaram Singh
- 16. Shri D. Y. Pawar
- 17. Shri Abu Abraham
- **18. Shri Vishwanatha Menon
- 19. Shri Bhupinder Singh
- ***20. Shri Om Mehta

Lok Sabha

- 21. Shri R. Balakrishna Pillai
- 22. Shrimati Mukul Banerji
- 23. Shri Bashweshwar Nath Bhargava
- 24. Shri Chapalendu Bhattacharyya
- 25. Shri Jyotirmoy Bosu
- @26. Shri Ramachandran Kadannappalli
- 27. Shri C. K. Chandrappan
- 28. Shri Dharnidhar Das
- 29. Shri P. K. Deo
- 30. Shrimati Marjorie Godfrey
- 31. Shri J. Matha Gowder
- 32. Shri Samar Guha
- 33. Shri J. G. Kadam
- 34. Shri Kinder Lal
- 35. Kumari Kamla Kumari
- @@36. Shri Jharkhande Rai
- 37. Shri Mallikarjun
- 38. Shri Krishnan Manoharan
- 39. Shri Shyamnandan Mishra
- 40. Shri F. H. Mohsin
- 41. Shri Samar Mukherjee
- 42. Shri Narsingh Narain Pandey
- 43. Shri S. T. Pandit
- 44. Shri P. Parthasarthy
- 45. Shri Arvind M. Patel
- 46. Shri Krishnarao Patil
- 47. Shri S. Radhakrishnan
- 48. Shri Ram Dhan

*Ceased to be member of the Committee consequent on retirement from the membership of the Rajya Sabha on the 9th July, 1975. Re-appointed on the 30th July, 1975, on being re-elected as a member of the Rajya Sabha.

**Appointed on 11-5-1974 *vice* Shri K. P. Subramania Menon retired from the membership of the Rajya Sabha on 2-4-1974.

***Appointed on 9-12-1974 *vice* Shri Ram Niwas Mirdha resigned on 22-11-1974.

@Appointed on 17-12-1974 *vice* Sardar Buta Singh resigned on 11-11-1974.

@@Appointed on 6-9-1974 *vice* Shrimati Parvathi Krishnan resigned on 19-8-1974.

49. Shri Ram Singh Bhai
50. Shrimati B. Radhabai Ananda Rao
51. Shri Jagannath Rao
52. Shri Umed Singh Rathia
53. Shri Mulki Raj Saini
54. Shri S. C. Samanta
55. Shri M. R. Sharma
56. Shri Nuggehalli Shivappa
57. Shri Hari Kishore Singh
58. Shri Sant Bux Singh
59. Shri Atal Bihari Vajpayee
60. Shri Virbhadra Singh

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRIES

Ministry of Law and Justice

1. Shri S. K. Maitra—Joint Secretary and Legislative Counsel.
2. Shri V. S. Bhashyam—Additional Legislative Council.

Ministry of Home Affairs

1. Shri C. V. Narasimhan—Joint Secretary.
2. Shri A. C. Sen—Deputy Secretary.

SECRETARIAT

1. Shri S. P. Ganguly—Additional Secretary.
2. Shri M. K. Jain—Chief Legislative Committee Officer.
3. Shri R. K. Mazumder—Senior Legislative Committee Officer.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

1. The Chairman of the Joint Committee to which the Bill* to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or hospitality by certain persons or associations, and for matters connected therewith or incidental thereto, was referred, having been authorised by the Joint Committee to submit the Report on its behalf, present this Report of the Committee, with the Bill, as amended by the Committee, annexed thereto.

2. The Bill was introduced in the Rajya Sabha on the 24th December, 1973. The motion for reference of the Bill to a Joint Committee of the Houses was moved by Shri Ram Niwas Mirdha, the then Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel on the 19th February, 1974, and was adopted by the House on the same day.

3. The Lok Sabha concurred in the motion on the 25th March, 1974.

4. The Message from the Lok Sabha was reported to the Rajya Sabha on the 25th March, 1974.

5. The Committee held 33 sittings in all. Of these four sittings each were held at Bombay (27th, 28th, 29th June and 1st July, 1974), Calcutta (16th, 17th, 18th and 19th September, 1974), Madras (7th, 8th, 9th and 10th October, 1974) and one sitting at Shillong (21st September, 1974), with the permission of the Chairman, Rajya Sabha, to hear oral evidence from witnesses.

6. At its first sitting held on the 10th April, 1974, the Committee decided that a Press Communique be issued inviting opinions from various individuals, associations, organisations, political parties and public bodies interested in the subject matter of the Bill and advising them to send their memoranda thereon to the Rajya Sabha Secretariat by the 15th May, 1974, which date was subsequently extended upto the 20th June, 1974. The Committee also decided to call witnesses for giving oral evidence on the Bill and authorised the Chairman to decide, after examining all the memoranda, as to who might be invited for the purpose. The Chairman also requested Members to suggest names of persons or associations, etc. whom they would like to be invited to give oral evidence before the Committee. Besides this, the Committee decided that the following be approached for giving their views on the Bill, namely:—

- (i) State Governments
- (ii) State Bar Councils and High Court Bar Associations
- (iii) Recognised Political Parties and Registered Trade Unions
- (iv) Attorney-General and Solicitor-General
- (v) Advocates-General of States
- (vi) Universities in India (Law Faculties)
- (vii) Academic Institutions like Indian Law Institute, New Delhi, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, Laski Institute at Ahmedabad, Gokhale School of Economics and Political Science at Poona, etc.

*Published in Part II, Section 2 of the Gazette of India Extraordinary, dated the 24th December, 1973.

7. To facilitate the work of the Committee, a questionnaire was issued.
8. Sixty-one memoranda containing views, comments, suggestions and replies to the questionnaire on the Bill were received by the Committee from various individuals, associations, etc.
9. The Committee heard the evidence tendered by Eighty-four witnesses.
10. The Committee decided that the whole of the oral evidence tendered before it should be laid on the Table in both Houses.
11. The Report of the Committee was to be presented to the House by the last day of the first week of the Eighty-eighth Session of the Rajya Sabha. The Committee was, however, granted extension of time, first upto the last day of the Ninetieth Session, then up to the last day of the Ninety-third Session, and then again, upto the last day of the first week of the Ninety-fourth Session of the Rajya Sabha.
12. The Committee considered and adopted the Draft Report at its sitting held on the 4th October, 1975.
13. The principal changes suggested by the Committee in the Bill and the reasons therefor are set out in the succeeding paragraphs of this Report:—

Clause 2

Sub-clause (1)—Paragraph (b).—The definition of the expression “candidate for election” has been amplified to bring it in line with the latest definition of that expression contained in section 79 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in section 171A(a) of the Indian Penal Code.

Paragraph (c).—Gifts for personal use of the value of more than Rs. 5,000/- were excluded from the definition of “foreign contribution”. The Committee feels that this exemption limit is too high. The Committee has, therefore, reduced it to Rs. 1,000/-. This paragraph has also been enlarged to include therein foreign security as defined in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

Paragraph (e).—The Committee considered in detail the question whether multinational corporations which have, of late, sprung up and are operating in many countries should be specifically brought within the purview of the proposed legislation. The Committee was of the view that the definition of the expression “foreign source” was wide enough to cover such corporations also. However, for the removal of any doubt and to make the intention clear, the Committee has specified “multinational corporation” in sub-paragraphs (iii) and (v) of this paragraph.

Further, the definition of the expression “foreign source”, as it stood in the Bill, did not appear to cover Indian companies which were actually controlled by the foreigners. A new sub-paragraph (vi) has, therefore, been added by the Committee to bring within the ambit of the Bill, companies which are Indian companies for the purpose of the Companies Act but which are controlled by foreigners—whether Governments, foreign individuals or societies or trusts or corporations, etc.

The amendment made in sub-paragraph (vii) is of a clarificatory nature and has been carried out since in some foreign countries a trade union might not be required to be registered.

Original sub-paragraph (vi) referred to a foundation. The intention was that such a foundation should be of a foreign country. This has been made clear by inserting the word "foreign" before the word "foundation" in re-numbered sub-paragraph (viii).

Paragraph (f).—The Committee is of opinion that the provisions of the Bill should be made applicable also to candidates for election to municipal corporations in metropolitan areas, District Councils in the North-Eastern States and Territories and any other elective body which may be notified by the Central Government from time to time. The definition of the word "Legislature" has accordingly been modified.

Paragraph (j)—[original].—As the expression "resident in India" already stands defined in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the definition of that expression proposed in the Bill has been omitted.

Explanation (New).—A new Explanation has been added to the sub-clause as a sequel to the Committee's proposal to specifically bring within the purview of the Bill "multi-national corporations".

The other changes made in the clause are of a drafting or clarificatory nature.

Clause 4

Sub-clause (1).—The Committee is of opinion that the cartoonists and owners of newspapers should also be included in the category of persons who are absolutely prohibited from accepting any foreign contribution. The sub-clause has, accordingly, been amended. A new explanation has also been added to the sub-clause clarifying the intention that Paragraph (c) is intended to cover only employees of corporations owned or controlled by Government.

Sub-clause (2).—Sub-clause (1) of the clause prohibits the persons listed therein from accepting foreign contribution. The Committee feels that the same prohibition should also apply in the case of persons receiving the contribution on behalf of such listed persons or organizations. The Committee has, therefore, substituted, in paragraph (a) of sub-clause (2), the words "currency from a foreign source", for the words "foreign currency" so that Indian currency received from a foreign source may fall within the ambit of the prohibition.

Paragraph (b) of sub-clause (2), as originally proposed in the Bill, had sought to prohibit delivery of *foreign currency* by any person resident in India to a *person of Indian origin*, if he knew that such person intended or was likely to deliver such currency to any political party, organization, etc. The Committee feels that it is not necessary to restrict the provision of the clause to delivery of "foreign currency" alone which in any case would attract the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, and to "persons of Indian origin" only. A foreign remittance can be converted into Indian currency and such currency may pass on to a political party, etc. through any person, whether of Indian origin or a

non-Indian. The Committee has, therefore, suitably amended paragraph (b) of sub-clause (2) for the purpose of prohibiting delivery of any currency, whether Indian or foreign.

Sub-clause (3) [new].—Under clauses 4 and 5 of the Bill restrictions have been imposed on persons receiving currency from foreign source on behalf of political parties or organizations, etc. in the matter of delivery of such currency. Clause 6, as originally proposed, did not, however, put such parallel restrictions on persons receiving such currency on behalf of cultural, educational, economic, social or religious, organizations. The Committee is, therefore, of opinion that the clause should be enlarged to cover even those persons who receive foreign contribution either on behalf of such an association or who having received it on their own, pass it on to such an association. A new sub-clause has, therefore, been added.

Clause 5

The clause prohibits an 'organisation of political nature' from accepting any foreign contribution without the prior permission of the Central Government. While sub-clause (1) of the clause contains the words 'except with the prior permission of the Central Government', sub-clause (2), as originally proposed, did not contain these words. This omission has since been made good by the Committee.

The Bill does not define the expression 'organisation of a political nature'. The Committee is of opinion that some precise and definite criteria should be laid down in the Act to determine which organisations come under the description 'organisation of a political nature'. Accordingly, a new Explanation laying down the guide-lines to be followed, has been inserted in sub-clause (1) of the clause. Further, a provision has been included in clause 21 to the effect that any organisation aggrieved by a notification declaring it as an organisation of a political nature under the provision contained in the Explanation would have a right to prefer an appeal to the High Court concerned against the decision of the Government.

Clause 6

Sub-clause (2) [new].—The Committee is of opinion that a candidate for election who had received any foreign contribution at any time within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate should give an intimation to the Central Government as to the amount received by him, the source from which and the manner in which such amount was received and the purpose for which and the manner in which such amount was utilised. The new sub-clause is intended to achieve this purpose.

Clause 7

The Committee is of opinion that a suitable limit should be prescribed for the annual value of scholarship, stipend and payment of a like nature that may be received from a foreign source by a citizen without any restriction and the cases in which that limit is exceeded need only be required to be reported to the Government. The Committee has accordingly proposed a new sub-clause to the clause leaving

it to the Central Government to prescribe by rules the limit upto which scholarship and stipend can be received by a citizen without giving any intimation to the Government.

Clause 8

The amendments made in the clause are intended to provide the following, namely:—

- (i) payments received in connection with international trade or commerce should be excluded from the purview of the prohibitive clause 4;
- (ii) no prior permission of the Central Government should be required for receiving foreign contribution, by a person specified in clause 4, from his relative provided that the amount of such contribution does not exceed eight thousand rupees per annum and an intimation of the amount received, the source from which and the manner in which it was received and the purpose and manner of its utilization is furnished by him to the Central Government;
- (iii) transactions made through official channels, such as, post offices, authorised dealers in foreign exchange etc. are exempted under this clause; and the proviso to clause 12 which corresponds to such provision has been omitted; and
- (iv) the term "relative" has been so defined as to have the meaning assigned to it in the Companies Act, 1956.

Clause 9

The clause imposes restrictions on the acceptance of foreign hospitality by members of a legislature, office-bearers of a political party etc., without the prior permission of the Central Government. In emergent cases like sudden illness contracted during visit abroad, it will not be possible to obtain such prior permission before accepting the hospitality that might be received. The Committee, therefore, feels that in such an eventuality it will suffice if instead of prior permission, only an intimation of the receipt, source and manner of such hospitality is given by the person within a month of its receipt. A proviso has been added to the clause for the purpose.

Clause 10

Sub-clause (a) of the clause as originally proposed excluded the associations specified in clause 6 from the purview of the sub-clause as a result of which the Central Government could not prohibit those cultural, educational and religious associations from accepting any foreign contribution even in the circumstances specified in the proviso to the clause. That position, in the opinion of the Committee, is not satisfactory as the Committee feels that there might be an occasion when such an association in the guise of social or cultural or religious pursuit might be indulging in activities prejudicial to the interest of the country. The Committee has, therefore, omitted the words and figure "or section 6" occurring in the sub-clause, thereby enabling the Central Government to prohibit such associations from accepting any foreign contribution when the circumstances so demand.

Clause 11

The Committee is of opinion that there should be a time-limit within which the Government should take a decision on an application for the grant of permission to accept a foreign contribution or foreign hospitality. Ordinarily a period of ninety days within which an application for such a permission must be disposed of, should, in the opinion of the Committee, suffice. If, however, the application is not disposed of within that period, the Committee has stipulated that an applicant should presume that the permission asked for has been granted. There may, however, be complicated cases for which Government may require some more time to decide upon the application. For such a case, the Committee feels, the Government may take a further period of 30 days, provided that the applicant is informed beforehand of the special reasons for delaying the decision beyond the prescribed period. A new sub-clause has, therefore, been added to the clause.

Clause 12

As stated earlier, the Committee is of opinion that the proper place for insertion of the matter contained in the proviso to this clause is clause 8 of the Bill. The Committee has, accordingly, omitted the proviso.

Clause 14

According to the clause as originally proposed any gazetted officer could be authorised to inspect an account or record of (a) a political party, (b) a person, (c) an organization, or (d) an association. As this is an important power which should be exercised with utmost care and responsibility, the Committee is of opinion that the Central Government when it has reason to suspect that any contravention of the provisions of law has been, or is being, made should record such reasons in writing before it confers the power of inspection of any account or record on any officer under the clause. Further, the gazetted officer who would be authorized to inspect such an account or record of a political party should be a class I gazetted officer of not less than 10 years' standing as such class I officer, and in the case of inspection of such documents and accounts pertaining to others, he should be at least a class I officer. The Committee has made necessary changes in the clause accordingly.

Clause 15

The Committee feels that the time-limit of three months prescribed in the clause for initiation of a court proceeding for contravention of any of the provisions of the law is too short. The Committee has, therefore, increased that limit to six months.

Clause 16

The amendment made in the clause specifies the value of the article for the purpose of exercising power of seizure under the clause.

Clause 18

The Committee is of opinion that any article or currency seized should not be automatically liable to confiscation. Since the article or currency seized will be a matter to be judged in adjudication under clause 19,

confiscation of such a material would take place only under the orders of the court. The Committee has amended the clause to make the intention clear.

Clause 19

The clause had originally proposed 'District Court' as the Court which should adjudicate upon unlimited seizures under sub-clause (a). The Committee is of opinion that since the violation of provisions of the legislation will be a criminal offence, the appropriate court for adjudication upon such unlimited seizures should be the Court of Session. Necessary amendment has accordingly been made in the clause.

Clause 21

As already explained under clause 5, a notification issued under the Explanation thereto has been made appealable. Further, in the opinion of the Committee, the appropriate forum for appeals specified in sub-clause (2) of the clause should be a High Court and not the Supreme Court, as had originally been provided. Necessary amendments have accordingly been made in the clause.

Clause 24

The re-drafting of the clause is of a clarificatory nature.

Clause 25 (Original)

The clause as originally proposed, had provided for penalty for sale or commercial use of any article received from a foreign source for personal use, without the prior permission of the Central Government. The Committee is of opinion that there would be practical difficulty in enforcing such a provision. The Committee also feels that the provision proposed might be a source of harassment of an innocent citizen. Further, in view of the reduction of the value of the article which may be received from a foreign source, the Committee feels that the restrictions against transfer are no longer necessary. The Committee, has, therefore, deleted the clause.

Clause 25 (Original Clause 26)

The Committee has specified one thousand rupees as the limit of fine which may be imposed for contravention of any provisions of the Act for which separate penalty has not been prescribed.

Clause 28 (Original Clause 29)

The amendment made in the clause is of a clarificatory nature.

Clause 31 (Original Clause 32)

The Committee feels that keeping in view the objective of the proposed regulatory legislation, a candidate for election to a legislature should in no case be exempted from the operation of the law and he should be required to intimate the amount of foreign contribution received by him. The amendment made in the clause clarifies this position.

Clause 1

Sub-clause (2).—Sub-clause (2)(b) has been amended to make it clear that the provisions of the Bill also apply to branches of companies or bodies corporate, registered or incorporated in India.

Long Title

The Committee is of opinion that the Long Title of the Bill does not adequately reflect the purposes of the proposed legislation. The Committee has, therefore, enlarged the Long Title to indicate the purpose of the regulatory legislation.

14. The other changes made in the Bill are of a consequential or drafting nature.

15. The Committee recommends that the Bill, as amended, be passed.

NEW DELHI;
October 4, 1975.

MANUBHAI SHAH,
Chairman, Joint Committee.

MINUTES OF DISSENT

I

दी फारेन कान्फ्रीक्वूशन (रेगुलेशन) विधेयक, 73 का उद्देश्य बहुत अच्छा है उससे मैं और मेरी पार्टी पूर्णतः सहमत है। यह बात सत्य है कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत की राजनीतिक पार्टियों, नेताओं तथा जनता को भिन्न रूपों में आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग व समर्थन प्रदान कर यहां के राजनीतिक ढांचे को अपने अनुकूल प्रभावित व नियंत्रित करने का सतत प्रयास कर रही हैं। यदि इस विदेशी कुप्रयासों से देश की राजनीति को मुक्त न किया गया तो हमारी स्वतंत्रता एक दिखावा मात्र बन कर रह जायेगी और हम विदेशी महाशक्तियों के मानसिक दास बन जाएंगे, और हम देश-विदेश में अपने राष्ट्र के हित में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे।

सरकार ने कुछ समय पूर्व गृह विभाग की ओर से यह जांच कराई थी कि विदेशों से किन-किन राजनीतिक पार्टियों व नेताओं को किस-किस रूप में कितनी सहायता प्राप्त हो रही है। उसी जांच के परिणामस्वरूप सरकार ने इस विधेयक के द्वारा देश के राजनीतिक ढांचे को विदेशी प्रभाव से बचाने का प्रयास किया है, परन्तु दुर्भाग्यवश गृह विभाग द्वारा की गई जांच की सम्पूर्ण रिपोर्ट को सरकार ने इस संयुक्त प्रवर कमेटी के सम्मुख उपस्थित नहीं किया। किन्तु कारणों से सरकार ने ऐसा नहीं किया यह तो वही जाने, परन्तु उसके प्राप्त न होने के कारण कमेटी के सदस्य इस विधेयक को प्रभावशाली बनाने में असमर्थ रहे।

वर्तमान विधेयक भी जिस रूप में सरकार द्वारा लाया गया है उससे प्रकट होता है कि सरकार की वास्तविक इच्छा भारत के राजनीतिक ढांचे को, देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखना नहीं अपितु विरोधी राजनीतिक पार्टियों व सदस्यों को इसकी आड़ में तंग करने व जनता की दृष्टि में उन्हें गिराने की चेष्टा मात्र है। इसे वास्तव में देश का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए।

इस विधेयक से देश को कितना लाभ होगा यह तो भविष्य ही बतलावेगा, परन्तु इसका यह कुपरिणाम सुनिश्चित है कि स्वाभाविक व वैधानिक रूप से जो विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में प्रति वर्ष भारत आ रही है वह रुक जायेगी। यों तो विधेयक की प्रत्येक धारा ही दोषपूर्ण है, परन्तु उनमें से कुछ उदाहरणार्थ यहां उपस्थित की जा रही हैं:—

धारा 2 (डी) के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सूत्र से किसी प्रकार का आतिथ्य अर्थात् रहने, खाने-पीने, आने-जाने का व्यय सरकार की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। विदेशी सूत्र की परिभाषा धारा 2 (ई) के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक विदेशी सूत्र की परिभाषा में आता है।

धारा 7 (i) के अनुसार कोई भी भारतीय विद्यार्थी किसी विदेशी सूत्र से यदि छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त करता है तो उसे निश्चित समय के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृत फार्म भरकर उसकी सूचना सरकार को देनी होगी।

धारा 4 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अपने चुनाव में किसी भी विदेशी सूत्र से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है।

यह सर्वविधित है कि आज लाखों भारतीय नागरिक संसार के अधिकांश देशों में बसे हैं, और वे वहां के नागरिक बन गये हैं, और उनकी पारिवारिक सम्बन्ध भारतीय नागरिकों के साथ बने हुए हैं और वे नियमित रूप से अपने परिवार वालों को अपने यहां आतिथ्य प्रदान करते हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं वा आर्थिक सहायता कर रहे हैं, और यथाशक्ति उनके चुनावों में भी सहयोग करते हैं परन्तु इस विधेयक के अनुसार वे सब विदेशी सूत्र की परिभाषा में आ गये हैं, और इसके पारित हो जाने पर वह अब अपने निकट सम्बन्धियों की भी सहायता करने में असमर्थ रहेंगे या भारतीय

नागरिक उनसे सहायता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग बड़ी ही कठिनाई में पड़ जायेगा। इसलिए भारत मूलक विदेशी नागरिकों को विदेशी सूत्र की परिभाषा में लाकर अपनी अहुरक्षिता प्रकट की है।

धारा 8 के अनुसार एक भारतीय केवल सरकार की अनुमति प्राप्त करने पर ही अपने चुनाव में अपने विदेशी सम्बन्धी से सहायता प्राप्त कर सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी सरकारों या उनके एजेंटों से सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाना है न कि अपने सम्बन्धियों से सहायता लेने पर। धारा 10 के अनुसार सरकार अनुमति देने से इन्कार भी कर सकती है। इसका अर्थ है कि शासक दल की सरकार अपने विरोधियों को विदेशों से वैधानिक सहायता प्राप्त करने में भी रोक सकती है। सरकार को यह अधिकार देना सर्वथा अनुचित है।

धारा 9 के अनुसार एक भारतीय नागरिक जो किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता हो अपनी विदेशी यात्रा के समय सरकार की अनुमति के बिना विदेशों में अपने सम्बन्धी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता है, वह धारा इस विधेयक की सीमा व भावना दोनों से परे है।

अतः धारा 2(इ) (8) में विदेशी सूत्र की परिभाषा में भारतीय मूलक विदेशी नागरिकों को रखना उचित नहीं।

इस विधेयक के द्वारा सरकार विदेशों से वैधानिक रूप से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को ही नहीं रोकेगी अपितु मीरीशस, फिजी, गायना, अफरीका, कनाडा आदि देशों में बसे भारतीय मूलक निवासियों के साथ भारतीयों के सम्बन्धों को भी तोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। यदि ऐसा हुआ तो यह देश हित की दृष्टि से बड़ा घातक होगा।

इस विधेयक की धारा 4 ही इस विधेयक की भावना व उद्देश्य की पूर्ति करने वाली है, परन्तु इस धारा को धारा 2(बी) में दी गई प्रत्याशी की परिभाषा ने इसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। प्रत्याशी की परिभाषानुसार वही व्यक्ति प्रत्याशी माना जायेगा कि जो चुनाव में विधिवत प्रत्याशी मान लिया गया हो। इसका अर्थ है कि चुनाव में नामिनेशन पेपर दाखिल करने से पूर्व या चुनाव के पश्चात एक प्रत्याशी विदेशी सुधों से धन प्राप्त कर सकता है इसलिए धारा 2(बी) में दी गई प्रत्याशी की परिभाषा लुप्टिपूर्ण एवं विधेयक की भावना की विरोधी है।

धारा 4 की परिधि में जहां सभी सम्भव राजनीतिक पार्टियों को ले लिया गया है, वहां ट्रेड यूनियनों को न जाने क्यों छोड़ दिया गया है। कौन नहीं जानता कि साम्यवाद का समूचा राजनीतिक ढांचा मजदूर एवं मजदूर यूनियनों पर ही आधारित है, और इन्हीं के द्वारा समूचे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करने के निमित्त ट्रेड यूनियनों का एक अर्न्त-राष्ट्रीय संगठन किया गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक ट्रेड यूनियन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का अंग होती है, और उन्हें विदेशों से विधिवत आतिथ्य व सहायता प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन को धारा 4 में सम्मिलित न कर सरकार ने इस विधेयक को लंगड़ा बना दिया है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों को विदेशी सहायता की स्वीकृति देने का स्पष्ट अर्थ है राजनीतिक पार्टियों की सहायता।

धारा 4 में राजनीतिक पार्टियों के अतिरिक्त समाचार पत्रों के पत्रकार, सम्पादक, कार्टूनिस्ट सभी को ले लिया है। यह प्रजातंत्र की भाषना के सर्वथा विपरीत है विचार-स्वातंत्र्य प्रजातंत्र की आत्मा होती है। यदि कोई देश दूसरे देशों के पत्रकारों को अपने देश की प्रगति से परिचित कराने के लिये आमंत्रित करता है, तो पत्रकार को उसके आतिथ्य को स्वीकार करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। आश्चर्य इस बात का है कि जहां पत्रकारों को विदेशी आतिथ्य से वंचित कर दिया है वहां सरकार ने विज्ञापन के रूप में विदेशों से भन-मानी घनराशि प्राप्त करने की समाचार पत्रों के मालिकों को पूरी छूट दी है। वर्तमान समय अधिकांश विदेशी दूतावास अपने विज्ञापनों के द्वारा ही समाचार पत्रों को अपने अनुकूल बना रहे हैं।

धारा 5 में राजनीतिक प्रकृति की संस्थाओं को सरकार की अनुमति के बिना विदेशी सहायता लेने से वञ्चित किया गया है। इससे मेरी पार्टी तथा मुझे कोई मत-भेद नहीं है, परन्तु राजनीतिक प्रकृति की संस्था को जो परिभाषा दी है वह भ्रामात्मक है। इसके आधार पर सरकार किसी भी ऐसी धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था को राजनीतिक प्रकृति की घोषित कर म कती है जो उसकी विरोधी हो या उसकी नीति से सहमत न हो।

धारा 6 के अनुसार कोई भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था सरलता से विदेशी सहायता प्राप्त कर सकती है परन्तु उसे प्रति वर्ष सरकार को उसके व्यय का व्योरा देना होगा। इस धारा की परिधि में विदेशी ईसाई मिशनरी भी आ जाते हैं जो वर्तमान समय सी०आई०ए० की एक शाखा के रूप में विदेशों में सेवा व शिक्षा की आड़ में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। भारत में भी वे यहाँ के अप्रदुः निधन वनवासी वन्धुओं को लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें भारत के विरुद्ध विद्रोही बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नियोगी व नेगी कमेटियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है, और नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि प्रान्तों में हो रहे विद्रोह इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। अतः विदेशी ईसाई मिशनों को इन संस्थाओं की परिधि में लाकर सरकार ने स्वतः ही इस विधेयक के उद्देश्य को समाप्त कर दिया है या इस विधेयक को नाकारा बना दिया है।

धारा 14 के अनुसार सरकार ने ऐसी शक्ति अपने हाथ में ले ली है कि सन्देह मात्र पर वह किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति, संस्था के कार्यालय की तलाशी करा सकती है। इस प्रकार इस विधेयक की आड़ में अपनी विरोधी संस्थाओं को जनता में अप्रमानित व भयभीत करने की शक्ति लेना किसी भी प्रकार उचित नहीं। हां प्रमाण उपस्थित होने पर ही सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये, और विरोधी संस्थाओं की आक्षेप असत्य सिद्ध होने पर सरकार के विरुद्ध न्यायालय में मान हानि का दावा करने का अधिकार मिलना चाहिये। जांच भी आप्रीसर के स्थान पर न्यायिक होनी चाहिये।

इस विधेयक को पूर्ण व सशक्त बनाने के निमित्त इसकी परिधि में जो बातें आने से रह गई हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) विदेशों से भारत में साहित्य के रूप में बड़ी मात्रा में राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस पर विधेयक में कोई नियंत्रण नहीं है।

(2) विदेशी शक्ति जो सामान यहाँ सीधा व्यापारियों व एजेंटों के द्वारा खरीदती है वह उन्हें कमीशन के माध्यम से भारी घनराशि देती है। एजेंट बहुधा राजनीति पार्टियों के लोग या उनसे सम्बन्धित होते हैं, और उनके द्वारा वह धन उन्हें प्राप्त हो जाता है। विधेयक ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई।

(3) ईसाई चर्च जो विदेशों के पणतः स्वामित्व एवं नियंत्रण में हैं, उनको प्राप्त विदेशी सहायता पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया।

अतः मेरी पार्टी और मैं इस विधेयक की भावना व उद्देश्य से सहमत हैं, परन्तु जिस रूप में यह सरकार द्वारा लाया गया है उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। यह विधेयक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा इसमें हमें सन्देह है।

नई दिल्ली;

श्रीम प्रकाश सुत्यागी

II

Though I am grateful to the Joint Select Committee for having accepted many of my amendments, the Bill, as it has emerged from the Joint Select Committee, has completely belied our expectations and defeats the very purpose of the Bill as introduced. There the statement of objects and the reasons expressed concern about the unregulated receipt of funds from foreign agencies and wanted to regulate this, consistent with the values of a Sovereign Democratic Republic.

No Citizen of this country wants that foreign money should vitiate the body politic of this country. At the same time, occasional hospitality or remittance from a relation in a foreign country, etc. are genuine cases of inflow of foreign money.

The Bill, as reported by the Joint Committee, gives blanket power to the Government to decide such inflow of foreign money. Pleas have been made by some Political Parties that contribution to "The Solidarity Fund of the Workmen" and "Friendship Organisations" should continue from foreign sources. As we know, Political Parties have their Trade Union wings which in name may be separate organisations but are affiliated to the parent Political Parties. I doubt, if there are watertight compartments in the Political Parties for not transferring the Trade Union Funds for political work. I believe, the major source of income of some Political Parties is their Trade Union funds. So I am strongly opposed to any idea of receiving contribution by the Trade Unions in the name of solidarity or friendship. But I am sorry to point out that the Government have acquiesced in the acceptance of foreign contribution by the Trade Unions for their solidarity funds. So instead of regulating foreign contributions this Bill regularises acceptance of such foreign contributions. Foreign patronage to Political Parties comes in various ways like giving advertisement in Souvenirs and Newspapers, placing large orders for printing in their Presses, insisting in the selection of monopoly Companies for export of indigenous items at the time of Trade Agreements etc. Political Parties and other Associations are to function in a manner consistent with the values of a Sovereign Democratic Republic. This being the criteria, I suggest that the Central Government should constitute a Tribunal consisting of the Lokpal when the Lokpal and Lokayukt Act is enacted and comes into force. Till such time, a Sitting Judge of the Supreme Court should be appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India. Political Parties come and go. Government changes every five years. So to leave a discretion to the Party in power to decide about the acceptance of foreign contribution will not be proper. The institution of a Tribunal to decide this question impartially will make the foundation of our Democratic Edifice stronger.

After the latest amendment of the "Representation of the People Act" no challenge lies in Court to the election of the President, the Vice President, the Speaker and the Prime Minister. But I feel that in a Bill

of this nature, the definition of candidate under Clause (2) of the Bill should also include a candidate for election for the post of the President, the Vice President, the Speaker and the Prime Minister.

NEW DELHI;
October 28, 1975

P. K. DEO

III

We do not agree with the Report of the majority in the Committee and consider that the Bill as amended by them does not go deeper into the real causes of penetration of foreign money in India. We, therefore, submit our note of dissent.

The Report does not do justice to the voluminous evidence tendered before the Committee which is serious enough to cause concern about the dangerous role the foreign money is playing inside India causing serious threat to sovereignty of our country.

The original draft of the Bill and the amendments proposed by the majority of the Joint Committee do not touch even the fringe of the problem. Instead of hitting the real culprits it will only be a source of harassment to some innocent persons.

While introducing the Bill in Parliament on the 24th December, 1973 the then Home Minister, Shri Uma Shankar Dikshit stated, "There has been widespread concern about the unregulated receipt of funds from foreign agencies by individuals and organisations in the country". The present Bill only seeks to regulate the acceptance and utilisation of foreign contributions or hospitality through official machinery. However, while doing this the Bill totally ignores the fact that the Indian Government is highly dependent on heavy doles of "foreign aid" and not a single major project gets a final shape unless the Committee "aid" comes in. For such a Government to talk of sovereignty appears to be empty. The hundreds of collaboration agreements signed with foreign monopolists and multi-national co-operations by Indian businessmen and approved by the Government have been a main source of penetration of foreign money in Indian social life. So long these features continue to dominate economic policies it is futile to talk of curbing the malaise created by ill-gotten foreign money.

As in the case of black money the foreign money also has created a special field of its activity. No law will be able to stop its operation when major channels of foreign money are given free reign to have their sway in the economy.

Foreign vested interests who invest hundreds of crores of rupees in India have a vital stake in the social system here. They, therefore, use the power of money to influence the public opinion here to protect their fortune. Various agencies have already been created under the garb of religious philanthropic and social organisations through whom they are in a position to channelise the foreign funds. The Bill only gives a legal cover to these activities but their detrimental role will continue to play havoc with the national interests.

The Bill gives wide powers to the Government to permit organisations to receive foreign money. The fusion between the executive authorities and the ruling party is so close today that the Executive authorities will

permit obtaining of foreign money by all the organisations which politically are friendly with the ruling party. Thus in practice the flow of foreign money will be regulated only through the Pro-Government organisations. The matters, therefore, instead of improving will be further worsening.

We consider that the solidarity funds received by workers during their strike struggles are just and should be freely permitted. Recently, however, the Government did not allow some solidarity fund remitted through a foreign bank by some fraternal trade union organisations during the All India Railway Strike. The Bill will give arbitrary powers to bureaucracy to deprive legitimate sections of the society of genuine solidarity funds from abroad but permit foreign funds for causes detrimental to national interests.

We have seen during the recent past that the Democratic Trade Unions are not allowed to receive solidarity funds from organisations from other countries. However, certain pro-Government Trade Unions are allowed huge funds to run the entire central apparatus. Foreign hospitality in the name of delegations has also reached scandalous proportions. The Bill will only regularise these mal-practices while the bureaucracy will continue to give them patronage. Thus, such Trade Unions will openly work to implement the foreign policy requirements of certain countries. They will be allowed to operate with official patronage on the plea that those countries also support the Government of India.

The corruption is rampant in bureaucracy and official circles. This is big asset to foreign powers and their missions in India. It is the same bureaucracy that would be entrusted with the task of implementing this legislation. It would only add to one more source of income for the bureaucrats many of whom have already established secret links with foreign missions. A recent disclosure of the PIB official giving secret to foreign intelligence should not be considered as an isolated instance. Many more hidden agents are prevalent but the Government fails to take action against them.

We hope, the Parliament will give serious consideration to our views and take drastic steps so that the dangerous consequences of the flow of secret foreign funds for purposes detrimental to the national interests is stopped forthwith.

NEW DELHI;
November 4, 1975

SAMAR MUKHERJEE
V. VISHWANATHA MENON

IV

The western imperialist countries have never been reconciled to the liberation of their colonies and the attempts of the Third World countries to come closer and develop independent economy free from foreign control and domination. Since independence, some of the Western countries, mainly U.S.A., have been persistently and continuously trying to subvert economy of these countries as well as political sovereignty and disrupt territorial integrity. As 18th and 19th century methods did not work and

the socialist world gave firm support to the Third World countries and helped them to stand on their own feet, the imperialist powers changed their tactics and methods—but the aim remained the same—to destroy democratic forms of government, to set up puppet regimes, to disrupt growing friendly relations with the socialist countries, to strengthen the grip of multi-national companies and keep these countries for ever as under developed, hopelessly tied to the U.S.A. and western capitalist economic system.

When open supply of arms, etc. have been found difficult to topple democratic regimes, mainly in Asia, Africa and Latin American countries, the other method which is being mainly used is remittance of huge money to those forces and groups and elements who are for the preservation of old socio-economic structure and against any fundamental changes in the society. This foreign money has been extensively utilised to corrupt the body-politic of these countries. Armed with this huge amount of foreign money, these reactionary groups have been able to topple democratic governments, halt nationalisation of country's resources from monopoly control and exploitation and set up fascist regimes in various parts of the Third World and outside. This foreign money is being consistently used to corrupt the press, bribe the legislators and officers and carry on most vicious propaganda against economic reforms in socialist countries.

Many were slow to understand the depth and dimension of the most dangerous activities of the CIA, and some other western Intelligence organisations and their clandestine activities in various countries, and the massive financial support they gave to rightwing and extreme left and dogmatic parties, groups and individuals and sections of the press. All kinds of associations were formed and supported by finance from abroad with the avowed aim to create troubles of various kinds in the Third World countries and States which had been trying to develop their economy in non-capitalist way. The recent revelations in the course of investigation of the CIA activities and publication of various reports in press and books have brought into light their shady and sordid activities in Third World countries. In the course of series of meetings of the Foreign Contribution (Regulation) Bill, several members quoted extensively from various books and documents regarding CIA and the activities of the multi-national corporations.

The closest ally of the CIA is multi-national companies which use various means to corrupt and subvert the independence and territorial integrity and economy of the countries where they operate. With tremendous financial power at their command and their firm grip over raw materials and minerals and other resources of the Third World countries, they are continuously trying to maintain their hold through massive financial support to anti-democratic elements and have become States within States. Under cover of trade and business, they attempt to infiltrate into every layer of society and resort to every possible means including financial assistance to influence the politics of the countries where they operate. They are the biggest single menace to independence and democratic forms of government which are trying to delink themselves from the stranglehold of colonial economy.

The Foreign Contribution (Regulation) Bill, 1973, as it has emerged out of the Joint Committee, will not be able to tackle or control or prevent the inflow of foreign money for dubious and shady and outright anti-national activities. While the multi-national corporations have been mentioned, no stress has been given on their activities and they will be free to evade and sabotage the various provisions of the Bill. There should be most stringent provisions for them. And this Bill is totally inadequate to deal with them.

Secondly, Trade Unions have been most unnecessarily brought within the purview of the Bill. Already Trade Unionists who go abroad to attend trade union meetings or for medical treatment, etc. are subjected to all kinds of harassment. Similar is the fate of peasant organisations and other anti-imperialist organisations and associations. As these organisations have very little resources or finance or influence over the bureaucrats, their travel abroad have become extremely difficult and time-consuming. This Bill will put further restrictions and obstacles and give more scope to bureaucrats to deny them even opportunities to go abroad for medical treatment.

Thirdly, the Bill will put insurmountable restrictions on the Trade Unions and mass organisations of our country to receive solidarity help from the working class of other countries. Trade Unions are not yet absolutely free in our country. There are all kinds of restrictions on them. They are subjected to continuous attacks from the employers and state machinery and bureaucrats and low wages of the workers of our country make it immensely difficult for the Trade Unions to build up huge financial reserve *vis-a-vis* powerful employers who are absolutely free to receive all kinds of financial assistance from the public financial institutions as well as from abroad. The transfer of capital from one country to other is a fundamental and permanent feature of the world capitalistic system. Monopoly houses and multi-national corporations always transfer their capital to help their organisations and concerns in various forms and manners which in many cases are utilised to subvert sovereignty and independence of developing countries as well as to crush and suppress working class organisations and their struggle against exploitation. This Bill does not touch this aspect at all. While capitalists will be free to import capital and receive massive financial assistance from abroad, working class and peasant organisations will be virtually debarred to receive any financial help from their brother working class organisations. Victims of mine disasters and victims of vicious offensive of the employers will now be denied financial assistance and support from working class and other organisations from abroad. Even there are provisions in the Bill which may be utilised to prevent trade unionists and other mass organisation workers to go abroad for necessary medical treatment which either they are unable to afford in our country or just not available.

Further, it will give sweeping power to the party in power and bureaucrats to harass political parties, various organisations and even citizens with an ulterior motive. The suggestion to set up a review committee was not acceptable to the government, which is ominous. Various witnesses who appeared before the Committee expressed deep and grave

concern regarding concentration of so much power (inspection etc.) on the government officers which as our past experience shows is bound to be misused.

Finally, this kind of Bill will not be able to either stop or curb the inflow of foreign money and contributions for political and subversive purposes. It will only drive it further underground and multi-national corporations, monopoly houses and western Intelligence Agencies and CIA will have no difficulty to finance and assist organisations and associations and individuals to undermine and subvert our parliamentary institutions and sabotage our independent economic growth. So this Bill, as it is, should be scrapped and rejected.

KALYAN ROY

C. K. CHANDRAPPA

JHARKHANDE RAI

NEW DELHI;

November 5, 1975.

BILL No. XLIV-B of 1973

THE FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL, 1973

(AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE)

[Words underlined or side-lined indicate the amendments suggested by the Committee; asterisks indicate omissions.]

A

BILL

to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or foreign hospitality by certain persons or associations, with a view to ensuring that parliamentary institutions, political associations and academic and other voluntary organisations as well as individuals working in the important areas of national life may function in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1975. Short title, extent, application and commencement.
- (2) It extends to the whole of India, and it shall also apply to—
- (a) citizens of India outside India; and
- (b) associates, branches or subsidiaries, outside India, of companies or bodies corporate, registered or incorporated in India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

**Defini-
tions.**

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'association' means an association of individuals, whether incorporated or not, having an office in India and includes a society, whether registered under the Societies Registration Act, 1860 or not, and any other organisation, by whatever name called, 21 of 1860.

(b) "candidate for election" means a person who has been duly nominated as a candidate for election to any Legislature,

(c) "foreign contribution" means the donation, delivery or transfer made by any foreign source,—

(i) of any article, not being an article given to a person as a gift for his personal use, if the market value, in India, of such article, on the date of such gift, does not exceed one thousand rupees;

(ii) of any currency, whether Indian or foreign;

(iii) of any foreign security as defined in clause (i) of section 2 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973;

46 of 1973.

(d) "foreign hospitality" means any offer, not being a purely casual one, made by a foreign source for providing a person with the costs of travel to any foreign country or territory or with free board, lodging, transport or medical treatment.

(e) "foreign source" includes—

(i) the Government of any foreign country or territory and any agency of such Government,

(ii) any international agency, not being the United Nations or any of its specialised agencies, the World Bank, International Monetary Fund or such other agency as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(iii) a foreign company within the meaning of section 591 of the Companies Act, 1956, and also includes,

1 of 1956.

(a) a company which is a subsidiary of a foreign company, and

(b) a multi-national corporation within the meaning of this Act.

(iv) a corporation, not being a foreign company, incorporated in a foreign country or territory,

(v) a multi-national corporation within the meaning of this Act,

(vi) a company within the meaning of the Companies Act, 1956, if more than one-half of the nominal value of its share

1 of 1956.

capital is held, either singly or in the aggregate, by one or more of the following namely:—

- (i) Government of a foreign country or territory,
- (ii) citizens of a foreign country or territory,
- (iii) corporations incorporated in a foreign country or territory,
- (iv) trusts, societies or other associations of individuals (whether incorporated or not), formed or registered in a foreign country or territory;
- (vii) a trade union in any foreign country or territory, whether or not registered in such foreign country or territory,
- (viii) a foreign trust by whatever name called, or a foreign foundation which is either in the nature of trust or is mainly financed by a foreign country or territory,
- (ix) a society, club or other association of individuals formed or registered outside India.
- (x) a citizen of a foreign country,

but does not include any foreign institution which has been permitted by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to carry on its activities in India;

(f) "Legislature" means—

- (i) either House of Parliament,
- (ii) the Legislative Assembly of a State, or in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of that State,
- (iii) Legislative Assembly of a Union territory constituted under the Government of Union Territories Act, 1963,
- (iv) the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966,
- (v) Municipal Corporations in metropolitan areas as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (vi) District Councils and Regional Councils in the States of Assam and Meghalaya and in the Union territory of Mizoram as provided in the Sixth Schedule to the Constitution, or
- (vii) any other elective body as may be notified by the Central Government.

as the case may be;

(g) "political party" means an association or body of individual citizens of India which is, or is deemed to be, registered with the

20 of 1963.

19 of 1966.

2 of 1974.

Election Commission of India as a political party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as in force for the time being;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "registered newspaper" means a newspaper registered under the Press and Registration of Books Act, 1867;

25 of 1867.

* * * * *

(j) "subsidiary" and "associate" have the meanings, respectively, assigned to them in the Companies Act, 1956;

1 of 1956.

(k) "trade union" means a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926.

16 of 1926.

Explanation.—For the purposes of this Act, a corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be a multi-national corporation if such corporation—

(a) has a subsidiary or a branch or a place of business in two or more countries or territories; or

(b) carries on business, or otherwise operates, in two or more countries or territories.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, have the meanings respectively assigned to them in that Act.

46 of 1973.

(3) Words and expressions used herein and not defined in this Act or in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the Representation of the People Act, 1951, have the meanings respectively assigned to them in such Act.

46 of 1973.

43 of 1950.

43 of 1951.

Applica-
tion of
other
laws not
barred.

3. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

CHAPTER II

REGULATION OF FOREIGN CONTRIBUTION AND FOREIGN HOSPITALITY

Candi-
date for
election,
etc., not to
accept
foreign
contri-
bution.

4. (1) No foreign contribution shall be accepted by any—

(a) candidate for election,

(b) correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner, printer or publisher of a registered newspaper,

(c) Government servant or employee of any corporation,

(d) member of any Legislature,

(e) political party or office-bearer thereof.

1 of 1956.

Explanation.--In clause (c), and in section 9, "corporation" means a corporation owned or controlled by Government and includes a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956.

(2) (a) No person, resident in India, and no citizen of India resident outside India, shall accept any foreign contribution, or acquire or agree to acquire any currency from a foreign source, on behalf of any political party, or any person referred to in sub-section (1), or both.

(b) No person, resident in India, shall deliver any currency, whether Indian or foreign, which has been accepted from any foreign source, to any person if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to any political party or any person referred to in sub-section (1), or both.

(c) No citizen of India resident outside India shall deliver any currency, whether Indian or foreign, which has been accepted from any foreign source, to—

(i) any political party or any person referred to in sub-section (1), or both, or

(ii) any other person, if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to a political party or to any person referred to in sub-section (1), or both.

(3) No person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source on behalf of any association, referred to in sub-section (1) of section 6, shall deliver such currency—

(i) to any association or organisation other than the association for which it was received, or

(ii) to any other person, if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to an association other than the association for which such currency was received.

5. (1) No organisation of a political nature, not being a political party, shall, accept any foreign contribution except with the prior permission of the Central Government.

Explanation.--For the purposes of this section, "organisation of a political nature, not being a political party" means such organisation as the Central Government may, having regard to the activities of the organisation or the ideology propagated by the organisation or the programme of the organisation or the association of the organisation with the activities of any political party, by an order published in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) (a) Except with the prior permission of the Central Government, no person, resident in India, and no citizen of India, resident outside India, shall accept any foreign contribution or acquire or agree to acquire any foreign currency, on behalf of an organisation referred to in sub-section (1).

Organisa-
tion of
a poli-
tical
nature
not to
accept
foreign
contri-
bution
except
with
the
prior
permis-
sion of
the
Central
Govern-
ment.

(b) Except with the prior permission of the Central Government, no person, resident in India, shall deliver any foreign currency to any person * * * if he knows or has reasonable cause to believe that such other person intends, or is likely, to deliver such currency to an organisation referred to in sub-section (1).

(c) Except with the prior approval of the Central Government, no citizen of India, resident outside India, shall deliver any currency, whether Indian or foreign, which has been accepted from any foreign source, to—

(i) any organisation referred to in sub-section (1), or

(ii) any person, if he knows or has reasonable cause to believe that such person intends, or is likely, to deliver such currency to an organisation referred to in sub-section (1).

Certain
associa-
tions
and
persons
receiving
foreign
contri-
bution to
give
intima-
tion to
the
Central
Govern-
ment.

6. (1) Every association [not being an organisation referred to in sub-section (1) of section 5] having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such foreign contribution was received and the purposes for which and the manner in which, such foreign contribution was utilised by it.

(2) Every candidate for election, who had received any foreign contribution, at any time within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate, shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of foreign contribution received by him, the source from which and the manner in which such foreign contribution was received and the purposes for which, and the manner in which, such foreign contribution was utilised by him.

Recipients
of scholar-
ships, etc.,
to give
intima-
tion to
the
Central
Govern-
ment.

7. (1) Every citizen of India receiving any scholarship, stipend or any payment of a like nature from any foreign source shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government as to the amount of the scholarship, stipend or other payment received by him and the foreign source from which, and the purpose for which, such scholarship, stipend or other payment has been, or is being, received by him.

(2) Where any recurring payments are being received by any citizen of India from any foreign source by way of scholarship, stipend or other payment, it shall be sufficient if the intimation referred to in sub-section (1) includes a precise information as to the intervals at which, and the purpose for which, such recurring payments will be received by such citizen of India.

(3) It shall not be necessary to give such intimation as is referred to in sub-section (1) or sub-section (2) in relation to scholarships, stipends or payments of a like nature, if the annual value of such

scholarships, stipends or other payments does not exceed such limits as the Central Government may, by rule made under this Act, specify in this behalf.

8. Nothing contained in section 4 shall apply to the acceptance, by any person specified in that section, of any foreign contribution, where such contribution is accepted by him, subject to the provisions of section 10,—

Persons to whom section 4 shall not apply.

(a) by way of salary, wages or other remuneration due to him or to any group of persons working under him, from any foreign source or by way of payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source; or

(b) by way of payment, in the course of international trade or commerce, or in the ordinary course of business transacted by him outside India; or

(c), as an agent of a foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with Government; or

(d) by way of a gift or presentation made to him as a member of any Indian delegation, provided that such gift or present was accepted in accordance with the regulations made by the Central Government with regard to the acceptance or retention of such gift or presentation; or

(e) from his relative when such foreign contribution has been received with the previous permission of the Central Government:

Provided that no such permission shall be required if the amount of foreign contribution received by him from his relative does not exceed, in value, eight thousand rupees per annum and an intimation is given by him to the Central Government as to the amount received, the source from which and the manner in which it was received and the purpose for which and the manner in which it was utilised by him;

(f) by way of remittance received, in the ordinary course of business, through any official channel, post office, or any authorised dealer in foreign exchange under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

46 of 1973.

Explanation.—In this Act, the expression “relative” has the meaning assigned to it in the Companies Act, 1956.

1 of 1956.

9. No member of a Legislature, office-bearer of a political party, Government servant or employee of any corporation shall, while visiting any country or territory outside India, accept, except, with the prior permission of the Central Government, any foreign hospitality:

Restrictions on acceptance, of foreign, hospitality.

Provided that it shall not be necessary to obtain any such permission for an emergent medical aid needed on account of sudden illness contracted during a visit outside India, but, where such foreign hospitality has been received, the person receiving such hospitality shall give, within one month from the date of receipt of such hospitality, an intimation to the Central Government as to the receipt of such hospitality and the source from which, and the manner in which, such hospitality was received by him.

Power of Central Government to prohibit receipt of foreign contribution, etc., in certain cases.

10. The Central Government may—

(a) prohibit any association, not specified in section 4, * * * or any person, from accepting any foreign contribution;

(b) require any association, specified in section 6, to obtain prior permission of the Central Government before accepting any foreign contribution;

(c) require any person or class of persons or any association, not being an association specified in section 6, to furnish intimation within such time and in such manner as may be prescribed as to the amount of any foreign contribution received by such person or class of persons or association, as the case may be, and the source from which and the manner in which such contribution was received and the purpose for which and the manner in which such foreign contribution was utilised;

(d) require any person or class of persons, not specified in section 9, to obtain prior permission of the Central Government before accepting any foreign hospitality.

(e) require any person or class of persons, not specified in section 9, to furnish intimation, within such time and in such manner as may be prescribed, as to the receipt of any foreign hospitality, the source from which and the manner in which such hospitality was received:

Provided that no such prohibition or requirement shall be made unless the Central Government is satisfied that the acceptance of foreign contribution by such association or person or class of persons, as the case may be, the acceptance of foreign hospitality by such person, is likely to affect prejudicially—

(i) the sovereignty and integrity of India; or

(ii) the public interest; or

(iii) freedom or fairness of election to any Legislature; or

(iv) friendly relations with any foreign State; or

(v) harmony between religious, racial, linguistic or regional groups, castes or communities.

Application to be made in prescribed form for obtaining prior permission to accept foreign contribution or hospitality.

11. (1) Every individual, association, organisation or other person, who is required by or under this Act to obtain the prior permission of the Central Government to accept any foreign contribution or foreign hospitality, shall, before the acceptance of any such contribution or hospitality, make an application for such permission to the Central Government in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) If an application referred to in sub-section (1) is not disposed of within ninety days from the date of receipt of such application, the permission prayed for in such application shall, on the expiry of the said period of ninety days, be deemed to have been granted by the Central Government:

Provided that, where in relation to an application, the Central Government has informed the applicant the special difficulties by reason of which his application cannot be disposed of within the said period of ninety days, such application shall not, until the expiry of a further period of thirty days, be deemed to have been granted by the Central Government.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

37 of 1967.

12. Where the Central Government is satisfied, after making such inquiry as it may deem fit, that any person has in his custody or control any article or currency, whether Indian or foreign, which has been accepted by such person in contravention of any of the provisions of this Act, it may, by order in writing, prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing with, in any manner whatsoever, such article or currency save in accordance with the written orders of the Central Government and a copy of such order shall be served upon the person so prohibited in the prescribed manner, and thereupon the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 7 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 shall, so far as may be, apply to, or in relation to, such article or currency and references in the said sub-sections to moneys, securities or credits shall be construed as references to such article or currency.

Power to prohibit payment of currency received in contravention of the Act.

13. Every association, referred to in section 6, shall maintain, in such form and in such manner as may be prescribed,—

- (a) an account of any foreign contribution received by it, and
- (b) a record as to the manner in which such contribution has been utilised by it.

Recipients of foreign contribution to maintain accounts, etc.

14. If the Central Government has, for any reason, to be recorded in writing, any ground to suspect that any provision of this Act has been, or is being, contravened by—

Inspection of accounts or records.

- (a) any political party, or
- (b) any person, or
- (c) any organisation, or
- (d) any association,

it may, by general or special order, authorise such gazetted officer, holding a class I post, as it may think fit (hereinafter referred to as the authorised officer), to inspect any account or record maintained by such political party, person, organisation or association, as the case may be, and thereupon every such authorised officer shall have the right to enter in or upon any premises at any reasonable hour, before sunset and after sunrise, for the purpose of inspecting the said account or record:

Provided that no gazetted officer shall be authorised to inspect the account or record maintained by a political party, unless he has been holding a class I post in connection with the affairs of the Union, or a State, for not less than ten years.

Seizure
of
account
or records

15. If, after inspection of an account or record referred to in section 14, the authorised officer has any reasonable cause to believe that any provision of this Act or of any other law relating to foreign exchange has been, or is being contravened, he may seize such account or record and produce the same before the court in which any proceeding is brought for such contravention:

Provided that the authorised officer shall return such account or record to the person from whom it was seized if no proceeding is brought within six months from the date of such seizure for the contravention disclosed by such account or record.

Seizure
of
article
or
currency
received in
contra-
vention
of the
Act,

16. If any gazetted officer, authorised in this behalf by the Central Government, by general or special order, has any reason to believe that any person has in his possession or control any article exceeding rupees one thousand in value, or currency, whether Indian or foreign, in relation to which any provision of this Act has been, or is being contravened, he may seize such article or currency.

Seizure
to be
made in
accor-
dance
with the
Code of
Criminal
Proce-
dure,
1973.

17. Every seizure made under this Act shall be made in accordance with the provision of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

2 of 1974.

Confisca-
tion of
article or
currency
obtained
in
contra-
vention
of the
Act,

18. Any article or currency which is seized under section 16 shall be liable to confiscation if such article or currency has been adjudged under section 19 to have been received or obtained in contravention of this Act.

Adjudica-
tion of
confisca-
tion.

19. Any confiscation referred to in section 18 may be adjudged—

(a) without limit, by the Court of Session within the local limits of whose jurisdiction the seizure was made; and

(b) subject to such limits as may be prescribed, by such officer, not below the rank of an Assistant Sessions Judge, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

20. No order of adjudication of confiscation shall be made unless a reasonable opportunity of making a representation against such confiscation has been given to the person from whom any article or currency has been seized.

Opportunity to be given before adjudication of confiscation.

21. (1) Any person aggrieved by any order made under section 19 may prefer an appeal,—

Appeal.

(a) where the order has been made by the Court of Sessions, to the High Court to which such Court is subordinate; or

(b) where the order has been made by any officer specified under clause (b) of section 19, to the Court of Session within the local limits of whose jurisdiction such order of adjudication of confiscation was made,

within one month from the date of communication to such person of the order:

Provided that the appellate court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of one month, allow such appeal to be preferred within a further period of one month, but not thereafter.

(2) Any organisation referred to in section 5, or any person or association referred to in section 9 or section 10, aggrieved by an order made in pursuance of the *Explanation* to sub-section (1) of section 5 or by an order of the Central Government refusing to give permission, or by any order made by the Central Government, under section 5 or section 9 or section 10, as the case may be, may within sixty days from the date of such order prefer an appeal against such order to the High Court within the local limits of whose jurisdiction the appellant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, or, where the appellant is an organization or association, the principal office of such organization or association is located.

(3) Every appeal preferred under this section shall be deemed to be an appeal from an original decree and the provisions of Order XLI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, shall, as far as may be, apply thereto as they apply to an appeal from an original decree.

5 of 1908

22. If any person, on whom any prohibitory order has been served under section 12, pays, delivers, transfers or otherwise deals with, in any manner whatsoever, any article or currency, whether Indian or foreign, in contravention of such prohibitory order, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both: and notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the court trying such contravention may also impose on the person convicted an additional fine equivalent to the market value of the article or the amount of the currency in respect of which the prohibitory order has been contravened by him or such part thereof as the court may deem fit.

2 of 1974

Penalty for article or currency obtained in contravention of section 12.

Punish-
ment
for the
contra-
vention

23. (1) Whoever accepts, or assists any person, political party or organisation in accepting, any foreign contribution or any currency from a foreign source, in contravention of any provision of this Act or any rule made thereunder, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

(2) Whoever accepts any foreign hospitality in ~~contravention~~ or any provision of this Act or any rule made thereunder ~~shall~~ be punished with imprisonment for a term which ~~may~~ extend to three years, or with fine, or with both.

Power to
impose
additional
fine
where
article or
currency
is not
available
for con-
fiscation,

24. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the Court trying a person, who, in relation to any article or currency, whether Indian or foreign, does or omits to do any act which act or omission would render such article or currency liable to confiscation under this Act, may, in the event of the conviction of such person for the act or omission aforesaid, impose on such person a fine not exceeding five times the value of the article or currency or one thousand rupees, whichever is more, if such article or currency is not available for confiscation, and the fine so imposed shall be in addition to any other fine which may be imposed on such person under this Act.

2 of 1974.

Penalty
for
offences
where no
separate
punish-
ment
has been
provided.

25. Whoever fails to comply with any provision of this Act for which no separate penalty has been provided in this Act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both.

Offences
by com-
panies.

26. (1) Where an offence under this Act or any rule made thereunder has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act or any rule made thereunder has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm, society, trade union or other association of individuals and

(b) "director", in relation to a firm, society, trade union or other association of individuals, means a partner in the firm or a member of the governing body of such society, trade union or other association of individuals.

27. No court shall take cognizance of any offence under this Act, except with the previous sanction of the Central Government or any officer authorised by that Government in this behalf.

Bar to the Prosecution of offences under the Act.

2 of 1974. 28. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act may also be investigated into by such authority as the Central Government may specify in this behalf and the authority so specified shall have all the powers which an officer-in-charge of a police station has while making an investigation into a cognizable offence.

Investigation into cases under the Act

29. No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or, any rule or order made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

30. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act

Power to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the time within which, and the manner in which, intimation is to be given by an association referred to in section 6. with regard to the foreign contributions received by it;

(b) the limits up to which receipt of scholarships, stipends or payments of a like nature need not be intimated to the Central Government;

(c) the time within which, and the manner in which, intimation is to be given by persons receiving any scholarship, stipend or any payment of a like nature from a foreign source;

(d) the time within which, and the manner in which a candidate for election should give intimation as to the amount of foreign contribution received by him at any time within one hundred and eighty days from the date when he became such candidate;

(e) the form and manner in which an application shall be made for obtaining prior permission of the Central Government to receive foreign contribution or foreign hospitality;

(f) the manner of service of the prohibitory order made under Section 12;

(g) the form and manner in which account or record referred to in section 13 shall be maintained.

(h) the limits up to which an officer, not below the rank of an Assistant Sessions Judge, may make adjudication of confiscation;

(i) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to
exempt,

31. If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient in the interests of the general public so to do, it may, by order and subject to such conditions as may be specified in the order, exempt any association (not being a political party), organisation or any individual (not being a candidate for election) from the operation of all or any of the provisions of this Act and may, as often as may be necessary, revoke or modify such order.

Act not
to apply
to Gov-
ernment
transac-
tions.

32. Nothing contained in this Act shall apply to any transaction between the Government of India and the Government of any foreign country or territory.

B. N. BANERJEE,
Secretary-General.

राज्य सभा

कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने और उसके प्रयोग को विनियमित करने के लिए और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगी विषयों के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन मंगलवार, 6 जनवरी, 1976 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया :—

समिति की संरचना

श्री मनुभाई शाह

अध्यक्ष

सदस्य

राज्य सभा

2. श्री देवदत्त पुरी
3. श्री चक्रपाणि शुक्ल
4. श्री गुलाब राव पाटिल
5. श्री काली मुखर्जी
6. श्री हर्षदेव मालवीय
7. श्री गणेश लाल माली
8. श्रीमती प्रतिभा सिंह
9. श्री कासिम अली आबिद
10. श्री ईमोन्सिंग सांगमा
11. श्री श्याम लाल गुप्त
12. श्री ओम् प्रकाश त्यागी
- * 13. श्री कल्याण राय
14. श्री एस० एस० मारिस्वामी
15. श्री सीताराम सिंह
16. श्री डी० वाई० पवार
17. श्री अबु अब्रहाम
- ** 18. श्री विश्वनाथ मेनन

* 9 जुलाई, 1975 को राज्य सभा से पदनिवृत्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे। राज्य सभा का पुनः सदस्य चुने जाने पर, पुनः 30 जुलाई, 1975 को सदस्य नियुक्त हुए।

** श्री के० पी० सुब्रमण्य मेनन, जो 2-4-1974 को पदनिवृत्त हुए, के स्थान पर 11-5-1975 को नियुक्त हुए।

19. श्री भूपेन्द्र सिंह
 * 20. श्री श्रीम् मेहता

लोक सभा

21. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
 22. श्रीमती मुकुल बनर्जी
 23. श्री बशेश्वर नाथ भार्गव
 24. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
 25. श्री ज्योतिमय बसु
 ** 26. श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली
 27. श्री सी० के० चन्द्रपत
 28. श्री धरनीधर दास
 29. श्री पी० के० देव
 30. श्रीमती एम० गोडफ्रे
 31. श्री जे० माता गोडर
 32. श्री समर गुहा
 33. श्री जे० जी० कदम
 34. श्री किन्दर लाल
 35. कुमारी कमला कुमारी
 *** 36. श्री झारखण्डे राय
 37. श्री मल्लिकार्जुनरुद्र
 38. श्री के० मनोहरन
 39. श्री श्याम नन्दन मिश्र
 40. श्री एफ० एच० मोहसिन
 41. श्री समर मुखर्जी
 42. श्री नरसिंह नारायण पांडे
 43. श्री एस० टी० पंडित
 44. श्री पी० पार्थसारथी
 45. श्री अरविन्द एम० पटेल
 46. श्री कृष्णराव पाटिल

* श्री राम निवास मिश्रा, जिन्होंने 22-11-1974 को त्यागपत्र दे दिया था; के स्थान पर 9-12-1974 को नियुक्त हुए। -

** सरदार बूटा सिंह, जिन्होंने 11-11-1974 को त्यागपत्र दे दिया, के स्थान पर 17-12-1974 को नियुक्त हुए।

*** श्रीमती पार्वती कृष्णन्, जिन्होंने 19-8-1974 को त्यागपत्र दे दिया, के स्थान पर 6-9-1974 को नियुक्त हुए।

47. श्री एस० राधाकृष्णन
48. श्री रामधन
49. श्री रामसिंह भाई
50. श्रीमती बी० राधाबाई ए० राव
51. श्री जगन्नाथ राव
52. श्री उमेद सिंह राठिया
53. श्री मुल्कीराज सैनी
54. श्री एस० सी० सामन्त
55. श्री एम० आर० शर्मा
56. श्री एन० शिवप्पा
57. श्री हरि किशोर सिंह
58. श्री संत बरुण सिंह
59. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
60. श्री वीरभद्र सिंह

मंत्रालयों के प्रतिनिधि

विधि तथा ध्याय मंत्रालय

1. श्री एस० के० मैत्रेय, संयुक्त सचिव तथा लैजिस्लेटिव कौंसिल
2. श्री बी० एस० भाष्यम, अतिरिक्त लैजिस्लेटिव कौंसिल

गृह मंत्रालय

1. श्री सी० बी० नरसिंहन, संयुक्त सचिव
2. श्री ए० सी० सैन, उपसचिव

सचिवालय

1. श्री एस० पी० गांगुली, अतिरिक्त सचिव
2. श्री एम० के० जैन, चीफ लैजिस्लेटिव कमेटी आफिसर
3. श्री आर० के० मजुमदार, सीनियर लैजिस्लेटिव कमेटी आफिसर

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का अध्यक्ष, जिसे कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय का आतिथ्य स्वीकार करने और उसके उपयोग को, तथा उससे सम्बन्धित अन्य मामलों को विनियमित करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्राधिकार दिये जाने पर, संयुक्त समिति के उस प्रतिवेदन को समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक के सहित जो उसके साथ अनुबद्ध है, प्रस्तुत करता हूँ ।

2. यह विधेयक राज्य सभा में 24 दिसम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया गया था । विधेयक को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव तत्कालीन, गृह मंत्रालय तथा कामिक विभाग में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा द्वारा 19 फरवरी, 1974 को उपस्थित किया गया और वह उसी दिन सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

3. लोक सभा ने 25 मार्च, 1974 को प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की ।

4. लोक सभा से प्राप्त संदेश की सूचना राज्य सभा को 25 मार्च, 1974 को दी गई थी

5. समिति की कुल 33 बैठकें हुईं । राज्य सभा के सभापति की अनुमति से साक्ष्यों की गवाहियां सुनने के लिए इनमें से चार-चार बैठकें बम्बई (27, 28, 29 जून तथा 1 जुलाई, 1974) कलकत्ता (16, 17, 18 तथा 19 सितम्बर, 1974) मद्रास (7, 8, 9 तथा 10 अक्तूबर 1974) तथा एक बैठक, शिलांग (21 सितम्बर, 1974) को हुईं ।

6. समिति ने 10 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी पहली बैठक में निर्णय किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसके द्वारा विधेयक के विषय से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संगमों, संगठनों, राजनीतिक दलों, तथा सार्वजनिक निकायों से उनकी राय आमंत्रित की जाये और उन्हें परामर्श दिया जाये कि वे अपना जापन राज्य सभा सचिवालय को 15 मई, 1974 तक भेज दें । यह तिथि बाद में 20 जून, 1974 तक बढ़ा दी गई थी । समिति ने यह भी निर्णय किया था कि साक्षियों को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाये और अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्रदान किया गया था कि वह जापनों की जांच करने के पश्चात् यह निर्णय ले कि इस उद्देश्य के लिए किन-किन को बुलाया जाये । अध्यक्ष ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया था कि वे ऐसे व्यक्तियों तथा संगमों आदि के नामों का सुझाव दें जिन्हें कि वे समिति के सामने मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जाना उपयुक्त समझते हैं । इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठनों को विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने को कहा जाये, अर्थात् :—

1. राज्य सरकारें
2. राज्यवार कौंसिल तथा उच्च न्यायालय बार-एसोसिएशन
3. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तथा पंजीकृत श्रम संगठन
4. महान्यायावादी तथा महासालिसिटर
5. राज्यों के महाधिवक्ता
6. भारत के विश्वविद्यालय (विधि संकाय)

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 24 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित ।

7. भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, संबैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, लास्की संस्थान अहमदाबाद, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान का गोखले स्कूल पूना आदि जैसे शैक्षणिक संस्थान ।
7. समिति के कार्य की सुगमता के लिए एक प्रश्नावली जारी की गई थी ।
8. समिति को विभिन्न व्यक्तियों, संगमों आदि से विधेयक सम्बन्धी प्रश्नावली के उत्तर के रूप में तथा उनके विचारों टिप्पणियों और सुझावों वाले 61 ज्ञापन प्राप्त हुए थे ।
9. समिति ने 84 साक्षियों द्वारा दी गई गवाहियों को सुना ।
10. समिति ने यह भी निर्णय किया कि समिति के सामने दिये गये मौखिक साक्ष्यों को दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये ।
11. समिति का प्रतिवेदन सभा में राज्य सभा के अट्टासीबें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन को प्रस्तुत किया जाना था । बाद में इस अवधि को पहले नव्वें सत्र के अन्तिम दिन तक तथा फिर चौरानव्वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया गया ।
12. समिति ने 4 अक्टूबर, 1975 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया ।
13. समिति द्वारा विधेयक में सुझाये गये मुख्य संशोधन तथा उनके कारण प्रतिवेदन के आगे के पैरों में दिये गये हैं:—

खण्ड 2

उपखण्ड (1):—

पैरा (ख) : निर्वाचन अभ्यर्थी की परिभाषा की अभिव्यक्ति को व्यापक बना कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 79 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 क (क) में दी गई अद्यतन परिभाषा की अभिव्यक्ति के अनुरूप बनाया गया है ।

पैरा (ग) :—व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5000 रुपये के मूल्य के तोहफों को 'विदेशी अभिदाय' की परिभाषा से बाहर रखा गया था । समिति यह अनुभव करती है कि छट की यह सीमा बहुत अधिक है । इसलिए समिति ने इसे घटा कर 1000 रुपये कर दिया है । इस पैरा का विस्तार किया गया है और विदेशी विनियम विनियमन अधिनियम 1973 में परिभाषित विदेशी प्रतिभूति को भी इस में सम्मिलित किया गया है ।

पैरा (ङ) : समिति ने इस प्रश्न पर भी विस्तार से विचार किया कि क्या बहुराष्ट्रीय निगमों, जो कि थोड़े समय पहले स्थापित हुए हैं और कई देशों में काम कर रहे हैं, को भी प्रस्तावित कानून की परिसीमा में लाया जाये । समिति का यह मत था कि 'विदेशी स्रोत' शब्द की परिभाषा पर्याप्त रूप में व्यापक है और ये निगम इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । फिर भी समिति ने किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने तथा इरादे को स्पष्ट करने के लिए इस पैरा के उपपैरा (III) तथा (IV) में 'बहुराष्ट्रीय निगम' को स्पष्ट कर दिया है ।

आगे 'विदेशी स्रोत' की परिभाषा, जो कि विधेयक में दी गई है, के अन्तर्गत ऐसी भारतीय कम्पनियां नहीं आती हैं, जो कि विदेशियों के नियंत्रण में हैं । इसलिए समिति ने एक नया उपपैरा (VI) जोड़ा है ताकि उन कम्पनियों, जो कि कम्पनी अधिनियम के अधीन भारतीय कम्पनियां हैं और जिनका नियंत्रण विदेशी सरकारों, विदेशी व्यक्तियों अथवा सोसाइटियों, न्यासों या निगमों आदि के अधीन हो, को विधेयक की परिसीमा में लाया जा सके ।

उपपैरा (VII) में किया गया संशोधन स्पष्टीकारी स्वरूप का है और यह इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कि कुछ देशों में श्रम संगठनों का पंजीकरण जरूरी न हो।

मूल उपपैरा (VI) में प्रतिष्ठान का उल्लेख है। इसकी भावना यह थी कि प्रतिष्ठान विदेशी होना चाहिए। इस चीज को पुनरंकित उपपैरा (VIII) में 'प्रतिष्ठान' शब्द से पहले 'विदेशी' शब्द जोड़ कर स्पष्ट कर दिया गया है।

पैरा (ख) : समिति का विचार है कि विधेयक के उपबन्धों को महानगर क्षेत्रों के नगर निगमों उत्तर-पूर्व राज्यों तथा क्षेत्रों के जिला परिषदों तथा अन्य ऐसे निर्वाचित निकायों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों पर भी लागू किये जायें। 'संविधान मंडल' की परिभाषा में इसी के अनुसार संशोधन किया गया है।

पैरा (अ) (मूल) :—क्योंकि 'भारतवासी' शब्द की परिभाषा विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम, 1973 में दी गई है; इसलिए इस शब्द की परिभाषा प्रस्थापित विधेयक से निकाल दी गई है।

स्पष्टीकरण (नया) : विशेष रूप से "बहुराष्ट्रिक निगमों" को विधेयक की परिधि में लाने के लिए समिति के प्रस्ताव के फलस्वरूप उपखण्ड में एक नया स्पष्टीकारी पैरा जोड़ा गया है।

खण्ड में किये गये अन्य संशोधन मसौदा तथा स्पष्टकारी स्वरूप के हैं।

खण्ड 4

उपखण्ड (1) :—समिति का यह मत है कि समाचार-पत्रों के मालिकों तथा कार्टून बनाने वालों को भी उन व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन्हें कि विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की मनाही है। इसी के अनुसार उप-खण्ड में संशोधन किया गया है। उपखण्ड में एक नया स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पैरा (ग) का उद्देश्य उन निगमों, जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं या जिन पर सरकार का नियंत्रण है, के कर्मचारियों को विधेयक की परिधि में लाना है।

उपखण्ड (2) : खण्ड का उप-खण्ड (1) की सूची में दिये गये व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाता है। समिति का यह मत है कि उन लोगों पर भी वही प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए जो कि सूची में उल्लिखित व्यक्तियों अथवा संगठनों के लिए अभिदाय प्राप्त करते हैं। इसलिए समिति ने उप-खण्ड (2) के पैरा (क) में 'विदेशी करेंसी' शब्दों के स्थान पर 'विदेशी स्रोत से करेंसी' शब्दों को रखा है ताकि विदेशी स्रोत से प्राप्त भारतीय करेंसी भी निविद्ध की परिधि में आ जाये।

उप-खण्ड 2 के पैरा (ख), जिस रूप में उसका मूल प्रस्ताव विधेयक में है, का उद्देश्य किसी भारत निवासी द्वारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को विदेशी करेंसी दिये जाने, यदि वह जानता हो कि यह धन किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन को दिये जाने के उद्देश्य के लिए दिया जा सकता हो, पर प्रतिबन्ध लगाना चाहा गया है। समिति महसूस करती है खण्ड के उपबन्धों केवल 'विदेशी करेंसी' के दिये जाने या 'भारत मूलक व्यक्तियों' तक ही क्यों सीमित रखा जाये क्योंकि वे तो विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन भी आ जाते हैं। विदेशों से आये हुये धन को भारतीय करेंसी में बदला जा सकता है और वह धन किसी भी व्यक्ति, चाहे वह भारत मूलक हो या न हो, के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल आदि को दिया जा सकता है। इसलिए समिति ने किसी भी करेंसी, चाहे भारतीय या विदेशी, के दिये जाने पर पाबन्दी लगाने के लिए उप-खण्ड (2) के पैरा (ख) में संशोधन किया है।

उपखण्ड (3) [नया] : विधेयक के खण्ड 4 तथा 5 के अधीन राजनीतिक दलों अथवा संगठनों की ओर से विदेशी स्रोतों से करेंसी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर ऐसी करेंसी के परिदान के मामले में निर्बन्धन लगाए गए हैं। तथापि मूल रूप में प्रस्तावित खण्ड 6, सांस्कृतिक, शैक्षिक आर्थिक सामाजिक अथवा धार्मिक संगठनों की ओर से ऐसी करेंसी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर ऐसे समान निर्बन्धन नहीं लगाता। अतः समिति का यह मत है कि यहां तक कि उन व्यक्तियों जो या तो ऐसे संगम की ओर से विदेशी अभिदाय प्राप्त करते हैं अथवा स्वतः प्राप्त कर लेने पर उसे ऐसे संगम को दे देते हैं, को समाविष्ट करने के लिए खण्ड का विस्तार किया जाना चाहिए। अतएव एक नया उपखण्ड जोड़ दिया गया है।

खण्ड 5

यह खण्ड किसी 'राजनीतिक प्रकृति के संगठन' को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध करता है। जब कि खण्ड के उपखण्ड (1) में 'केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय' शब्द निहित हैं, मूलरूप में प्रस्तावित उप-खण्ड (2) में ऐसे शब्द निहित नहीं हैं। समिति द्वारा इस भूल का सुधार कर लिया गया है।

विधेयक 'राजनीतिक प्रकृति का संगठन' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता। समिति का मत है कि यह अवधारित करने के लिए कि 'राजनीतिक प्रकृति के संगठन' वर्णन के अधीन कौन कौन से संगठन आते हैं, अधिनियम में कुछ स्पष्ट तथा निश्चित कसौटी निर्धारित की जानी चाहिए। तदनुसार, खण्ड के उपखण्ड (1) में मार्गदर्शक नियमों को, जिनका पालन किया जाएगा, निर्धारित करते हुए एक नया स्पष्टीकरण निविष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त खण्ड 21 में इस भाष्य का एक उपबन्ध सम्मिलित कर लिया गया है कि किसी ऐसी अधिसूचना द्वारा व्यक्तित्व संगठन को, जिसे स्पष्टीकरण में निहित उपबन्ध के अधीन राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर दिया गया हो सरकार के निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा।

खण्ड 6

उपखण्ड (2) [नया] : समिति का यह मत है कि निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को, जिसने उस तारीख से तुरन्त पूर्व, एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, किसी भी समय कोई विदेशी संदाय प्राप्त किया हो, जिस दिन ऐसे अभ्यर्थी के रूप में उसे सम्यक प्रकार से नाम-निर्देशित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, वह स्रोत जहां से प्राप्त की गई है, वह रीति जिसके द्वारा ऐसी धनराशि प्राप्त की गई और जिस प्रयोजन के लिए और जिस रीति से ऐसी धनराशि का उपयोग किया गया, केन्द्रीय सरकार को प्रज्ञापना देनी चाहिए। नए उपखण्ड का प्रयोजन इस उद्देश्य को प्राप्त करना है।

खण्ड 7

समिति का मत है कि छात्रवृत्ति, वृत्तिका और उसी प्रकार के संदाय की वार्षिक राशि, जो बिना किसी निर्बन्धन के किसी नागरिक द्वारा विदेशी स्रोत से प्राप्त की जा सकती है, के लिए उप-युक्त सीमा विहित की जानी चाहिए और केवल उन मामलों में जहां सीमा में वृद्धि हो जाती है, सरकार संसुचित करने की आवश्यकता है। समिति ने तदनुसार खण्ड में एक नया उपखण्ड जोड़ने का प्रस्ताव किया है जिससे यह कार्य केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वह नियमों द्वारा ऐसी अधिकतम राशि विहित करे जितनी छात्रवृत्ति और वृत्तिका एक नागरिक द्वारा सरकार को प्रज्ञापित किए बिना प्राप्त की जा सकती है।

खण्ड 8

खण्ड में किए गए संतोषनों द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था अभिप्रेत है, अर्थात् :—

- (1) प्रतिषेधात्मक खंड 4 के क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के सिलसिले में प्राप्त संदायों को अपवर्जित किया जाना चाहिए।
- (2) खण्ड 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अपने नातेदारों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होनी चाहिए परन्तु यह तब जब कि ऐसे अभिदाय की रकम 8 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो और प्राप्त रकम के बारे में, जिस स्रोत से और जिस रीति से वह प्राप्त हुई है उसके बारे में, और जिस प्रयोजन के लिए और जिस रीति से उसका उपयोग किया गया, उसके बारे में केन्द्रीय सरकार को उसके द्वारा प्रज्ञापना दी जाए।
- (3) सरकारी प्रणाली के साध्यम से किए गए कारोबार जैसे डाकबरों, विदेशी मुद्रा आदि के प्राधिकृत व्यापारियों को इस खंड के अधीन छूट दे दी गई है और ऐसे उपबन्ध के अनुरूप खण्ड 12 के परन्तुक का लोप कर दिया गया है; और
- (4) 'नातेदार' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है जिससे कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 में दिए गए अर्थ को प्रकट कर सके।

खण्ड 9

यह खण्ड विग्राम मंडल के सदस्यों, राजनीतिक दल आदि के पदाधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने पर निर्बन्धन लगाता है। आपात साधनों में, जैसे कि विदेश यात्रा के दौरान आकस्मिक बीमारी पर आतिथ्य स्वीकार किए जाने से पूर्व इस प्रकार की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अतएव समिति यह सहसूस करती है कि ऐसी आकस्मिकता पर, पूर्ण अनुज्ञा के बजाय केवल उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आतिथ्य की प्राप्ति, जिस स्रोत तथा रीति से वह आतिथ्य प्राप्त हुआ, उसके बारे में, एक महीने के भीतर प्रज्ञापना दी जाए। इस प्रयोजन के लिए खण्ड में एक परन्तुक जोड़ दिया गया है।

खण्ड 10

मूल रूप से प्रस्तावित खंड के उपखंड (क) में, खंड 6 में विनिर्दिष्ट संगमों को उपखण्ड के क्षेत्र से अपवर्जित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार उन सांस्कृतिक, शैक्षिक और धार्मिक संगमों को, यहां तक कि खंड के परन्तुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में भी विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध नहीं कर सकती थी। समिति की राय में उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि समिति सहसूस करती है कि ऐसा भी अवसर आ सकता है जब कि ऐसा कोई संगम सामाजिक अथवा सांस्कृतिक अथवा धार्मिक कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के बहाने ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है जो कि देश के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों। अतएव समिति ने उपखंड में 'अथवा धारा 6' के शब्द तथा अंक का लोप कर दिया है और इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की है कि जब कभी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हों, तो वह संगमों को किसी भी प्रकार के विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर सकती है।

खण्ड 11

समिति का मत है कि एक ऐसी समय सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर सरकार को विदेशी अभिदाय अथवा विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने हेतु अनुज्ञा की मंजूरी के लिए प्रार्थनापत्र पर निर्णय लेना चाहिए। सामान्य रूप से समिति की राय में 90 दिन की अवधि जिसके भीतर ऐसी अनुज्ञा के

लिए आवेदनपत्र को निपटाया जाना चाहिए, पर्याप्त होगी, तथापि यदि उक्त अवधि के भीतर आवेदनपत्र नहीं निपटाया जाता तो समिति ने यह निश्चय किया है कि आवेदनकर्ता को यह मान लेना चाहिए कि उसने जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया था वह उसे मंजूर कर दी गयी है। फिर भी ऐसे पेचोदे मामले हो सकते हैं, जिनमें सरकार को आवेदनपत्र पर निर्णय के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे मामले के लिए समिति यह महसूस करती है कि सरकार 30 दिन का भीर समय ले सकती है, परन्तु यह तब जब कि आवेदनकर्ता को विहित अवधि से परे निर्णय में विलम्ब के लिए विशेष कारणों की सूचना पहले ही दे दी जाए। अतएव इस खंड में एक नया उपखंड जोड़ दिया गया है।

खंड 12

जैसा कि पहले बताया गया है समिति का मत है कि इस खंड के परन्तुक में निहित सामग्री के निवेश के लिए उपयुक्त स्थान विधेयक का खंड 8 है। समिति ने तदनुसार इस परन्तुक का लोप कर दिया गया है।

खंड 14

यह खंड राजपत्रित अधिकारी को किसी (क) राजनैतिक दल (ख) व्यक्ति (ग) संगठन अथवा (घ) संगम के किसी लेखे अथवा अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकी यह एक ऐसा महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका प्रयोग अत्याधिक सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ किया जाना चाहिए, समिति का यह मत है कि प्राधिकृत अधिकारी को, जिसके पास यह संदेह करने का कारण है कि विधि के उपबन्धों का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, खंड के अधीन किसी लेखे अथवा अभिलेख का निरीक्षण करने की शक्ति का प्रभय लेने से पूर्व लिखित रूप में ऐसे कारणों को रिकार्ड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस राजपत्रित अधिकारी को किसी राजनैतिक दल के लेखे अथवा अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा उसे दस वर्ष से अन्यून अवधि की सेवा का ऐसा प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और अन्य लोगों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों तथा लेखाओं के निरीक्षण के मामले में उसे कम से कम प्रथम श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए। समिति ने तदनुसार खंड में आवश्यक परिवर्तन किए हैं।

खंड 15

समिति यह महसूस करती है कि विधि के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए न्यायालय की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए खंड में विहित तीन महीने की परिसीमा बहुत ही कम है। अतएव समिति ने वह परिसीमा 6 महीने तक बढ़ा दी है।

खंड 16

खंड में किया गया संशोधन खंड के अधीन अभिग्रहण की शक्ति के प्रयोग के प्रयोजन हेतु वस्तु के मूल्य को विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 19B

समिति का मत है कि अभिगृहीत किसी वस्तु अथवा करेंसी का स्वतः अधिकार नहीं किया जाना चाहिए; चूंकि अभिगृहीत वस्तु अथवा करेंसी के बारे में निर्णय खंड 19 के अधीन न्याय निर्णयक द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार को सामग्री का अभिग्रहण केवल न्यायालय के आदेशों के अधीन किया जाएगा। समिति ने इस अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए खंड में संशोधन कर दिया है।

खंड 219

इस खंड द्वारा 'जिला न्यायालय' ऐसे न्यायालय के रूप में मूल रूप से प्रस्तावित किया गया था जिसे खंड (क) के अधीन अपरिमित अभिग्रहणों के लिए न्याय निर्णयन करना चाहिए। समिति का मत है कि चूंकि विधान के उपबन्धों का उल्लंघन एक दण्डक अपराध होगा, अतएव ऐसे अपरिमित अभिग्रहणों के न्याय निर्णयन के लिए उपयुक्त न्यायालय सत्र न्यायालय होना चाहिए। तदनुसार खंड में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।

खंड 21

जैसा कि खंड 5 के अधीन पहले दूरी स्पष्ट किया जा चुका है, उस पर स्पष्टीकरण के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को अपीलीय बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त समिति के मत में खंड के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट अपीलों के लिए उपयुक्त मंच, जैसा कि मूल रूप से उपबन्धित किया गया था, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए न कि उच्चतम न्यायालय। तदनुसार खंड में आवश्यक संशोधन कर लिए गए हैं।

खंड 24

खंड का पुनः प्रारूप एक प्रकार से स्पष्टीकरण है।

खंड 25 (मूल)

मूल रूप से प्रस्तावित खंड में केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी विदेशी स्रोत से, व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गयी किसी वस्तु की बिक्री अथवा उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए शास्ति की व्यवस्था की गयी थी। समिति का मत है कि इस प्रकार का उपबन्ध लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई होगी। समिति यह भी महसूस करती है कि प्रस्तावित उपबन्ध एक निरपराध नागरिक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने के विचार से, जो कि किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त हो सकती है, समिति यह महसूस करती है कि अन्तरण के लिए निर्बन्धन अब आवश्यक नहीं रह गए हैं। अतएव समिति ने खंड को हटा दिया है।

खंड 25 (मूल खंड 26)

समिति ने अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए किए जाने वाले जुर्माने की परिसीमा एक हजार रुपये विनिर्दिष्ट कर दी है, जिसके लिए कोई पृथक शास्ति विहित नहीं की गयी है।

खंड 28 (मूल खंड 29)

खंड में प्रस्तावित संशोधन का स्वरूप स्पष्टीकरण के प्रकार का है।

खंड 31 (मूल खंड 32)

समिति यह महसूस करती है कि प्रस्तावित विनियामक विधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधान मंडल के लिए चुनाव हेतु किसी अभ्यर्थी को विधि के लागू किए जाने से किसी भी दशा में छूट नहीं दी जानी चाहिए और उसे उसके द्वारा प्राप्त विदेश अभिदाय की प्रज्ञापना देनी चाहिए। खण्ड में किया गया संशोधन इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

खण्ड 1

उपखण्ड 2—उपखण्ड (2) (ख) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि विधि के उपबन्ध कम्पनियों की शाखाओं या नियमित निकायों पर, चाहे वे रजिस्ट्रीकृत हों अथवा भारत में निगमित हों, लागू होंगे ।

बृहत् नाम

समिति का मत है कि विधेयक का बृहत् नाम प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को उपयुक्त प्रकार से प्रकटित नहीं करता । अतएव समिति ने विनियामक विधान के प्रयोजन को उपदर्शित करने के लिए बृहत् नाम का विस्तार कर दिया है ।

14. विधेयक में किए गए अन्य परिवर्तन परिणामी है अथवा प्रारूप के किस्म के हैं ।

15. समिति सकारिश करती है कि संशोधित रूप में विधेयक को पारित किया जाए ।

नई दिल्ली;

4 अक्तूबर, 1975

मनुभाई शाह,

अध्यक्ष संयुक्त समिति ।

विमति टिप्पण

I

दी फारेन कन्ट्रीन्पूशन (रेगुलेशन) विधेयक 73 का उद्देश्य बहुत अच्छा है उससे मैं और मेरी पार्टी पूर्णतः सहमत है। यह बात सत्य है कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत की राजनीतिक पार्टियों, नेताओं तथा जनता को विभिन्न रूपों में आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग व समर्थन प्रदान कर यहां के राजनीतिक ढांचे को अपने अनुकूल प्रभावित व नियंत्रित करने का सतत प्रयास कर रही हैं। यदि इन विदेशी कुप्रयासों से देश की राजनीति को मुक्त न किया गया तो हमारी स्वतंत्रता एक विखावा माल बन कर रह जायेगी और हम विदेशी महाशक्तियों के मानसिक दास बन जायेंगे, और हम देश-विदेश में अपने राष्ट्र के हित में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे।

सरकार ने कुछ समय पूर्व गृह विभाग की ओर से यह जांच कराई थी कि विदेशों से किन-किन राजनीतिक पार्टियों व नेताओं को किस किस रूप में कितनी सहायता प्राप्त हो रही है। उसी जांच के परिणामस्वरूप सरकार ने इस विधेयक के द्वारा देश के राजनीतिक ढांचे को विदेशी प्रभाव से बचाने का प्रयास किया है, परन्तु दुर्भाग्यवश गृह विभाग द्वारा की गई जांच की सम्पूर्ण रिपोर्ट को सरकार ने इस संयुक्त प्रवर कमेटी के सम्मुख उपस्थित नहीं किया। किन कारणों से सरकार ने ऐसा नहीं किया यह तो वही जाने, परन्तु उसके प्राप्त न होने के कारण कमेटी के सदस्य इस विधेयक को प्रभावशाली बनाने में असमर्थ रहे।

वर्तमान विधेयक भी जिस रूप में सरकार द्वारा लाया गया है उससे प्रकट होता है कि सरकार को वास्तविक इच्छा भारत के राजनीतिक ढांचे को, देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखना नहीं अपितु विरोधी राजनीतिक पार्टियों व सदस्यों को इसको आड़ में तंग करने व जनता को दृष्टि में उन्हें गिराने की चेष्टा मात्र है। इसे वास्तव में देश का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए।

इस विधेयक से देश को कितना लाभ होगा यह तो भविष्य ही बतलावेगा, परन्तु उसका यह कुपरिणाम सुनिश्चित है कि स्वाभाविक व वैधानिक रूप से जो विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में प्रति वर्ष भारत आ रही है वह रुक जायेगी। यों तो विधेयक की प्रत्येक धारा ही दोषपूर्ण है, परन्तु उनमें से कुछ उदाहरणार्थ यहां उपस्थित की जा रही हैं :—

धारा 2 (डी) के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सूत्र से किसी प्रकार का आतिथ्य अर्थात् रहने, खाने-पीने, आने-जाने का व्यय सरकार की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। विदेशी सूत्र की परिभाषा धारा 2 (ई) के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक विदेशी सूत्र की परिभाषा में आता है।

धारा 7 (i) के अनुसार कोई भी भारतीय विद्यार्थी किसी विदेशी सूत्र से यदि छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त करता है तो उसे निश्चित समय के अन्दर सरकार द्वारा स्वीकृत का फार्म भर कर उसकी सूचना सरकार को देनी होगी।

धारा 4 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अपने चुनाव में किसी भी विदेशी सूत्र से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है।

यह सर्वविदित है कि आज लाखों भारतीय नागरिक संसार के अधिकांश देशों में बसे हैं, और वे वहां के नागरिक बन गये हैं, और उनके पारिवारिक सम्बन्ध भारतीय नागरिकों के साथ बने हुए हैं और वे नियमित रूप से अपने परिवार वालों को अपने यहां आतिथ्य प्रदान करते हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं या आर्थिक सहायता कर रहे हैं, और यथाशक्ति उनके चुनावों में भी सहयोग करते हैं परन्तु इस विधेयक के अनुसार वे सब विदेशी सूत्र की परिभाषा में आ गये हैं, और इसके पारित हो जाने पर वह अब अपने निकट सम्बन्धियों की भी सहसहायता करने में असमर्थ रहेंगे या भारतीय नागरिक उनसे सहायता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग बड़ी ही कठिनाई में पड़ जायेगा। इसलिए भारत मूलक विदेशी नागरिकों को विदेशी सूत्र की परिभाषा में लाकर अपनी अदूरदर्शिता प्रकट की है।

धारा 8 के अनुसार एक भारतीय केवल सरकार की अनुमति प्राप्त करने पर ही अपने चुनाव में अपने विदेशी सम्बन्धी से सहायता प्राप्त कर सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी सरकारों या उनके एजेंटों से सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाना है न कि अपने सम्बन्धियों से सहायता लेने पर। धारा 10 के अनुसार सरकार अनुमति देने से इन्कार भी कर सकती है। इसका अर्थ है कि शासक दल की सरकार अपने विरोधियों को विदेशों से वैधानिक सहायता प्राप्त करने में भी रोक सकती है। सरकार को यह अधिकार देना सर्वथा अनुचित है।

धारा 9 के अनुसार एक भारतीय नागरिक जो किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता हो अपनी विदेश यात्रा के समय सरकार की अनुमति के बिना विदेशों में अपने सम्बन्धी का भी अतिथि स्वीकार नहीं कर सकता है, यह धारा इस विधेयक की सीमा व भावना दोनों से परे है।

अतः धारा 2 (इ) (8) में विदेशी सूत्र की परिभाषा में भारतीय मूलक विदेशी नागरिकों को रखना उचित नहीं।

इस विधेयक के द्वारा सरकार विदेशों से वैधानिक रूप से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को ही नहीं रोकेगी अपितु मौरिशस, फिजी, गायाना, अफरीका, कनाडा आदि देशों में बसे भारतीय मूलक निवासियों के साथ भारतीयों के सम्बन्धों को भी तोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। यदि ऐसा हुआ तो यह देश हित की दृष्टि से बड़ा घातक होगा।

इस विधेयक की धारा 4 ही इस विधेयक की भावना व उद्देश्य की पूर्ति करने वाली है, परन्तु इस धारा को धारा 2 (बी) में दी गई प्रत्याशी की परिभाषा ने इसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। प्रत्याशी की परिभाषानुसार वहीं व्यक्ति प्रत्याशी माना जायेगा कि जो चुनाव में विधिवत् प्रत्याशी मान लिया गया हो। इसका अर्थ है कि चुनाव में नामिनेशन पेपर दाखिल करने से पूर्व या चुनाव के पश्चात् एक प्रत्याशी विदेशी सूत्रों से धन प्राप्त कर सकता है इस लिए धारा 2 (बी) में दी गई प्रत्याशी की परिभाषा कृत्रिम एवं विधेयक की भावना की विरोधी है।

धारा 4 की परिधि में जहाँ सभी सम्भव राजनीतिक पार्टियों को ले लिया गया है, वहाँ ट्रेड यूनियनों को न जाने क्यों छोड़ दिया गया है। कौन नहीं जानता कि साम्यवाद का समूचा राजनीतिक ढाँचा मजदूर एवं मजदूर यूनियनों पर ही आधारित है, और इन्हीं के द्वारा समूचे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करने के निमित्त ट्रेड यूनियनों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन किया गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक ट्रेड यूनियन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का अंग होती है, और उन्हें विदेशों से विधिवत् आतिथ्य व सहायता प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन को धारा 4 में सम्मिलित न कर सरकार ने इस विधेयक को लंगड़ा बना दिया है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों को विदेशी सहायता की स्वीकृति देने का स्पष्ट अर्थ है राजनीतिक पार्टियों की सहायता।

धारा 4 में राजनीतिक पार्टियों के अतिरिक्त समाचार पत्रों के पत्रकार, सम्पादक, कार्टूनिस्ट सभी को ले लिया है। यह प्रजातंत्र की भावना के सर्वथा विपरीत है। विचार-स्वातंत्र्य प्रजातंत्र की आत्मा होती है। यदि कोई देश दूसरे देशों के पत्रकारों को अपने देश की प्रगति से परिचित कराने के लिए आमंत्रित करता है, तो पत्रकार को उसके आतिथ्य को स्वीकार करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। आश्चर्य इस बात का है कि जहाँ पत्रकारों को विदेशी आतिथ्य से वंचित कर दिया है वहाँ सरकार ने विज्ञापन के रूप में विदेशों से मनमानी धन राशि प्राप्त करने की समाचार पत्रों के मालिकों को पूरी छूट दी है। वर्तमान समय अधिकांश विदेशी भूतवास अपने विज्ञापनों के द्वारा ही समाचार पत्रों को अपने अनुकूल बना रहे हैं।

धारा 5 में राजनीतिक प्रकृति की संस्थाओं को सरकार की अनुमति के बिना विदेशी सहायता लेने से वर्जित किया गया है। इससे मेरी पार्टी तथा मुझे कोई मत-भेद नहीं है, परन्तु राजनीतिक प्रकृति की संस्था की जो परिभाषा दी है वह भ्रमात्मक है। इसके आधार पर सरकार किसी भी ऐसी धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था को राजनीतिक प्रकृति की घोषित कर सकती है जो उसकी विरोधी हो या उसकी नीति से सहमत न हो।

धारा 6 के अनुसार कोई भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्था सरलता से विदेशी सहायता प्राप्त कर सकती है, परन्तु उसे प्रति वर्ष सरकार को उसके व्यय का ब्योरा देना होगा। इस धारा की परिधि में विदेशी ईसाई मिशनरी भी आ जाते हैं जो वर्तमान समय सी० आई० ए० की एक शाखा के रूप में विदेशों में सेवा व शिक्षा की आड़ में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। भारत में भी वे यहां के अपढ़ व निर्धन जनवासी बन्धुओं को लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें भारत के विरुद्ध विद्रोही बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नियोगी व नेगी कमेटियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है, और नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि प्रान्तों में हो रहे विद्रोह इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। अतः विदेशी ईसाई मिशनरों को इन संस्थाओं की परिधि में ला कर सरकार ने स्वतः ही इस विधेयक के उद्देश्य को समाप्त कर दिया है या इस विधेयक को नाकारा बना दिया है।

धारा 14—के अनुसार सरकार ने ऐसी शक्ति अपने हाथ में ले ली है कि सन्देह मात्र पर वह किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति, संस्था के कार्यालय की तलाशी करा सकती है। इस प्रकार इस विधेयक की आड़ में अपनी विरोधी संस्थाओं को जनता में अपमानित व भयभीत करने की शक्ति लेना किसी भी प्रकार उचित नहीं। हां प्रमाण उपस्थित होने पर ही सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए, और विरोधी संस्थाओं को आक्षेप असत्य सिद्ध होने पर सरकार के विरुद्ध न्यायालय में मान हानि का दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए। जांच भी आफिसर के स्थान पर न्यायिक होनी चाहिए।

इस विधेयक को पूर्ण व सशक्त बनाने के निमित्त इसकी परिधि में जो बातें आने से रह गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) विदेशों से भारत में साहित्य के रूप में बड़ी मात्रा में राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस पर विधेयक में कोई नियंत्रण नहीं है।

(2) विदेशी शक्ति जो सामान यहां सीधा व्यापारियों व एजेंटों के द्वारा खरीदती है वह उन्हें कमीशन के माध्यम से भारी धनराशि देती है। एजेंट बहुधा राजनीतिक पार्टियों के लोग या उनसे सम्बन्धित होते हैं, और उनके द्वारा वह धन उन्हें प्राप्त हो जाता है। विधेयक ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई।

(3) ईसाई धर्म जो विदेशों के पूर्णतः स्वामित्व एवं नियंत्रण में है, उनको प्राप्त विदेशी सहायता पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया।

अतः मेरी पार्टी और मैं इस विधेयक की भावना व उद्देश्य से सहमत हैं, परन्तु जिस रूप में यह सरकार द्वारा लाया गया है उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। यह विधेयक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा इसमें हमें सन्देह है।

ओमप्रकाश त्यागी

त्रि० सं० 184

II

यद्यपि मैं संयुक्त प्रवर समिति के प्रति आभारी हूँ। कि उसने मेरे बहुत से संशोधन स्वीकार कर लिये हैं तथापि संयुक्त प्रवर समिति से जिस रूप में विधेयक सामने आया है, उसने हमारी आशाओं को पूर्ण रूप से झुठला दिया है और जिस रूप में विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था, यह, उसके उद्देश्य को ही, समाप्त कर देता है। उद्देश्य तथा कारणों के कथन में विदेशी अभिकरणों से निधियों की अविनियमित प्राप्ति के बारे में चिन्ता प्रकट की गई थी और उसमें प्रभुता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य की मान्यताओं के अनुकूल इसे विनियमित करना ईप्सित था।

इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि विदेशी धन इस देश के राज निकाय को दूषित करे। तथापि यदा कदा जो आतिथ्य किया जाता है तथा विदेश में किसी नातेदार द्वारा जो धन भजा जाता है उससे यह माना जाना चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा देश में सही तौर से आ रही है।

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक, सरकार को विदेशों से इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन के बारे में निर्णय करने के लिए सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे तर्क दिए गये हैं कि “कामगारों की एकता निधि” तथा “मैत्री संगठनों” के लिए विदेशी स्रोतों से अभिदाय जारी रहने चाहिए। जैसा कि हमें ज्ञात है कि राजनीतिक दलों के मजदूर संघों के ऐसे स्कन्ध हैं जो नाम के लिए तो पृथक् संगठन हो सकते हैं परन्तु वे वस्तुतः राजनीतिक दलों से सम्बद्ध ही होते हैं। मैं यह नहीं समझता कि राजनीतिक दलों में कोई ऐसा पार्थक्य है कि मजदूर संघों की निधियों को राजनीतिक कार्य के लिए नहीं दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ राजनीतिक दलों की आय का बहुत बड़ा स्रोत उनके मजदूर संघ की निधियाँ ही हैं। अतएव मैं एकता अथवा मैत्री के नाम पर मजदूर संघों द्वारा अभिदाय प्राप्त किये जाने के किसी भी विचार के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन यह बताते हुए मुझे खेद होता है कि सरकार ने मजदूर संघों को अपनी एकता निधियों के लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की मौन सम्मति दे दी है। अतः विदेशी अभिदायों को विनियमित करने के बजाय यह विधेयक ऐसे विदेशी अभिदायों की स्वीकृति को नियमित कर देता है। राजनीतिक दलों को विदेशी संरक्षण विभिन्न तरीकों से प्राप्त होता है, जैसे कि स्मारक पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, उनके छापेखानों में मुद्रण के लिए आभारों आर्डर देकर, व्यापार समझौतों के सम्य बेसी मर्गों के निर्यात के लिए एकाधिकारी कम्पनियों को ही चुनने का आग्रह करके आदि। राजनीतिक दलों तथा अन्य संगमों को प्रभुतासम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य की मान्यताओं के अनुकूल कार्य करना होता है। इसे कसौटी मानते हुए मेरा सुझाव है कि जब लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम पारित होकर लागू हो जाये तब केन्द्रीय सरकार को लोकपाल सहित एक ट्रायब्यूनल स्थापित करना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ परामर्श से उच्चतम न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी चाहिये। राजनीतिक दल आते हैं और चले जाते हैं। सरकार प्रत्येक पांच वर्ष के बाद बदल जाती है इस कारण सत्तारूढ़ दल के विवेक पर विदेशी अभिदाय की स्वीकृति के बारे में निर्णय छोड़ना उचित नहीं होगा। इस प्रश्न का निष्पक्ष रूप से निर्णय करने के लिए एक ट्रायब्यूनल का गठन हमारे लोकतान्त्रिक प्रसाद की नींव को और भी मजबूत बना देगा।

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में अद्यतन संशोधन के पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के विधेयक में, विधेयक के खंड (2) के अधीन अभ्यर्थी की परिभाषा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

पी० के० देव

नई दिल्ली,

26 अक्टूबर, 1975

III

समिति में बहुमत के प्रतिवेदन से हम सहमत नहीं हैं और यह समझते हैं कि उनके द्वारा संशोधन रूप में विधेयक भारत में विदेशी धन के आने के वास्तविक कारणों की गहराई तक नहीं जाता। अतएव हम अपना विमति टिप्पण प्रस्तुत करते हैं।

यह प्रतिवेदन समिति के समक्ष दिए गए विपुल साक्ष्य के प्रति न्याय नहीं करता जिसके कारण भारत में विदेशी धन जो भूमिका अदा कर रहा है, उसके बारे में गम्भीर चिन्ता उत्पन्न होती है क्योंकि वह धन हमारे देश की प्रभुसत्ता के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रहा है।

विधेयक का मूल प्रारूप तथा संयुक्त समिति के बहुमत द्वारा प्रस्तावित संशोधन इस समस्या को सेशमात्र भी नहीं छू पाते हैं। वास्तविक अपराधियों को दण्डित करने के बजाय यह कुछ निरपराध व्यक्तियों को परिशान करने का साधन मात्र रह जाएगा।

24 दिसम्बर, 1973 को संसद् में विधेयक पुरःस्थापित करते समय तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित ने कहा था, “देश में व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा विदेशी अभिकरणों से निधियों को अधिनियमित प्राप्ति के बारे में व्यापक चिन्ता उत्पन्न हो रही है।” वर्तमान विधेयक केवल विदेशी अभिदायों अथवा आतिथ्य की स्वीकृति तथा उपयोग का सरकारी तन्त्र के माध्यम से विनियमन करना चाहता है। तथापि ऐसा करते हुए यह विधेयक पूर्णरूप से इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि भारतीय सरकार “विदेशी सहायता” के भारी निर्वाह दान पर निर्भर करती है और कोई भी बृहत् परियोजना को तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक कि समिति की “सहायता” उसे प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार की सरकार के लिए प्रभुसत्ता की बात खोजली प्रतीत होती है। भारतीय व्यापारियों द्वारा विदेशी एकाधिकारियों तथा बहुराष्ट्रीय सहयोगों के जिन सैकड़ों सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और जिनका सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, वे भारतीय सामाजिक जीवन में विदेशी धन को खींच लाने के मुख्य साधन हैं। जब तक इस प्रकार की बातें आर्थिक नीतियों पर हावी रहेंगी तब तक गलत तरीके से प्राप्त विदेशी धन द्वारा उत्पन्न बुराई को समाप्त करने की बात करना व्यर्थ है।

काले धन की ही तरह विदेशी धन ने भी अपनी गतिविधि के लिए एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न किया है। जब तक विदेशी धन के बृहत् स्रोतों को अर्थव्यवस्था में अपना दखल रखने की खुली छूट दी जाएगी, कोई भी कानून उनके कार्य को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता।

निहित स्वार्थ रखने वाले विदेशियों, जो भारत में करोड़ों रुपये की पूंजी लगाते हैं, का धन यहां की सामाजिक प्रणाली में भारी दांव पर होता है। अतएव वे अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए यहां लोकमत को प्रभावित करने हेतु धन की शक्ति का उपयोग करते हैं। धार्मिक, उपकारी और सामाजिक संगठनों की आड़ में पहले ही विभिन्न अभिकरण बना लिए गए हैं जिनके माध्यम से वे विदेशी निधियों को वितरित करने की स्थिति में हैं। यह विधेयक इन गतिविधियों को एक कानूनी संरक्षण मात्र देता है लेकिन उनकी हानिकार भूमिका राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाती रहेगी।

यह विधेयक सरकार को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संगठनों को अनुमति प्रदान करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। कार्यकारी प्राधिकारियों तथा सत्तारूढ़ दल के बीच सम्पर्क इतना घनिष्ठ है कि कार्यकारी प्राधिकारी ऐसे सभी संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त किए जाने की अनुमति करेंगे जो राजनीतिक दृष्टि से सत्तारूढ़ दल के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। इस प्रकार व्यापार में विदेशी धन का प्रसार केवल सरकार सर्वश्रेष्ठ संगठनों के माध्यम से विनियमित किया जा सकेगा। अतएव इसके कारण स्थिति के सुधरने के बजाय उसमें और भी बिगाड़ होगा।

हम समझते हैं कि अपने हड़ताल-संघर्षों के दौरान श्रमिकों की जो एकता निधियां प्राप्त होती हैं वे उचित हैं और उनके लिए खुले तौर पर अनुमति दी जानी चाहिए तथापि हाल ही में अखिल भारतीय रेलगे हड़ताल के दौरान कुछ मैत्रीपूर्ण मजदूर संघ संगठनों द्वारा एक विदेशी बैंक के माध्यम से जो

एकता निधि भेजी गई थी, सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। यह विधेयक समाज के वैधव्यों को विदेशों से मही तौर से प्राप्त एकता निधियों से वंचित करने के लिए नौकरशाही को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करेगा। लेकिन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध विदेशी निधियों के लिए अनुमति दे देगा।

हाल में कुछ ही समय पहले हमने यह देखा है कि नौकरशाही मजदूर संघों को अन्य देशों के संगठनों से एकता निधियाँ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि कुछ सरकार समर्थक मजदूर संघों को समग्र केन्द्रीय तन्त्र चलाने के लिए भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। शिष्ट मंडलों के नाम पर विदेशी आतिथ्य भी निन्दनीय सीमा तक पहुँच चुका है। यह विधेयक केवल इन कदाचारों को विनियमित करेगा जब कि नौकरशाही उन्हें संरक्षण प्रदान करती रहेगी। इस प्रकार ऐसे मजदूर संघ कुछ देशों की विदेश नीति संबंधी आवश्यकताओं को कार्यान्वित करने के लिए खुले तौर पर काम करेंगे। उन्हें इस आधार पर सरकारी संरक्षण के साथ कार्य करने दिया जाएगा कि वे देश भी भारत सरकार का समर्थन करते हैं।

नौकरशाही तथा सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। यह विदेशी शक्तियों तथा भारत में उनके मिशनों के लिए एक बड़ी आस्ति है। यह वही नौकरशाही है जिसे इस विधान को कार्यान्वित करने का काम सौंपा जाएगा। यह केवल उन नौकरशाहों की आय का एक और स्रोत बनने में सहायक होगा जिनमें से बहुतों ने पहले ही विदेशी मिशनों के साथ गुप्त सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं। इस संबंध में विदेशी असूचना को भेद देने वाले प्रैस सूचना व्यू के एक कर्मचारी से संबंधित हाल के एक समाचार को एकाकी उदाहरण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। और भी बहुत कई गुप्त एजेंट हैं लेकिन सरकार उनका विरुद्ध कार्यवाही करने में असमर्थ रहती है।

हमें आशा है कि संसद् हमारे विचारों पर गम्भीरता से विचार करेगी और ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाने के प्रयोजन से गुप्त रूप से प्राप्त विदेशी निधियों के प्रसार से उत्पन्न होने वाले खतरनाक परिणामों को शीघ्र रोका जा सके।

समर मुखर्जी
वी विश्वनाथ मेनन

नई दिल्ली; 4 नवम्बर, 1975

IV

पश्चिमी साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों की स्वतंत्रता के प्रति और तृतीय विश्व के देशों द्वारा परस्पर निकट आने तथा विदेशी नियंत्रण और प्रभुत्व से मुक्त अपनी स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था निकसित करने के प्रयासों के प्रति कभी संतुष्ट नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, कुछ पश्चिमी देश और मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमरीका इन देशों की अर्थ व्यवस्था और साथ ही साथ राजनैतिक प्रभुसत्ता का ध्वंस करने तथा प्रादेशिक अखंडता को भंग करने का सतत और निरंतर प्रयास करते रहे हैं। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी के तरीकों से सफलता नहीं मिली और समाजवादी विश्व में तृतीय विश्व के देशों को ठोस समर्थन प्रदान किया तथा उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये सहायता दी, तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हथकंडे और तरीके बदल दिये—लेकिन उद्देश्य वही रहा—अर्थात् लोकतंत्रीय पद्धति वाली सरकारों को नष्ट करना, कठपुतली शासन स्थापित करना, समाजवादी देशों के साथ बढ़ते हुए मित्रतापूर्व संबंधों में विघ्न डालना, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव को मजबूत बनाना और इन देशों को सदा के लिये अविकसित रखना ताकि वे संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम की पूंजीवादी अर्थ-शास्त्रीय प्रणाली से निराशाजनक रूप में बंधे रहें।

हथियारों की खुली सप्लाई इत्यादि से मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीकी देशों में लोकतंत्रीय शासन को उलट पाना संभव न होने पर, जिस दूसरे तरीके का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है, उसमें उन दलों, वर्गों और तत्वों को भारी मात्रा में धन प्रेषित किया जाता है जो पुराने सामाजिक-आर्थिक ढांचे को कायम रखने के पक्षपाती हैं और समाज में किसी भी मूल परिवर्तन का विरोध करते हैं। इन देशों के राज-निकाय को भ्रष्ट करने लिए इस विदेशी धन का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। विदेशी धन की इस बड़ी राशि के बल पर, ये प्रतिक्रियावादी वर्ग लोकतंत्रीय सरकारों को उलटने, एकाधिकार नियंत्रण और शोषण से बचाने के लिये देश के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के मार्ग में रुकावट डालने और तृतीय विश्व के विभिन्न भागों तथा अन्य देशों में फासिस्ट शासन स्थापित करने में सफल रहे हैं। प्रेस को भ्रष्ट करने, विधायकों और अधिकारियों को घूस देने और समाजवादी देशों में किये जाने वाले आर्थिक सुधारों के विषय भारी कुप्रचार चलाने में इस विदेशी धन का निरंतर प्रयोग किया जा रहा है।

कुछ लोगों को सी०आई०ए० के अति खतरनाक कार्य कलापों की और कुछ अन्य पश्चिमी आसूचना संघटनों तथा विभिन्न देशों में उनके गुप्त कार्यकलापों की एवं दक्षिण पंथी और कटर वाम पंथी तथा मतवादी दलों, वर्गों और व्यक्तियों तथा प्रेस के सक्शनों को उनके द्वारा दी गई भारी वित्तीय सहायता की गंभीरता और विस्तार की बात देर से समझ आई। सभी प्रकार के संघ बनाये गये और उन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता दी गयी तथा उनका एक मात्र उद्देश्य तृतीय विश्व के उन देशों और राज्यों में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयाँ पैदा करना था जो अपनी अर्थ व्यवस्था और गैर-पूंजीवादी तरीके से विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। सी०आई०ए० के कार्यकलापों की जांच के दौरान हाल ही में हुए रहस्योद्घाटनों से और प्रेस के विभिन्न प्रतिवेदनों और पुस्तकों के प्रकाशन से तृतीय विश्व के देशों में उनके कुत्सित और नीच कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ा है। विदेशी अभिवाय (विनियमन) विधेयक पर चर्चा करने के लिए हुई बैठकों के दौरान कई सदस्यों ने विभिन्न पुस्तकों और प्रलेखों से सी०आई०ए० और बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकलापों के संबंध में विस्तार से उद्घरण दिये थे।

सी०आई०ए० का निकटतम सहयोगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं जो उन देशों की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता तथा अर्थ व्यवस्था को भ्रष्ट बनाने और नष्ट करने के लिये विभिन्न उपायों का प्रयोग करती हैं जिनमें वे काम करती हैं। उनके पास भारी वित्तीय शक्ति है और तृतीय विश्व के देशों के कच्चे माल और खनिजों तथा अन्य संसाधनों पर उनका पक्का अधिकार है, जिनकी सहायता से वे लोकतंत्र विरोधी तत्वों को भारी वित्तीय सहायता प्रदान करके अपना अधिकार बनाये रखने का सतत प्रयास कर रही हैं और इस प्रकार वे राज्यों के भीतर स्वयं राज्य बना बैठी हैं। व्यापार और कारोबार की आड़ में वे समाज के प्रत्येक स्तर पर घुसपैठने का प्रयास करती हैं और हर संभव उपाय अपनाती हैं, जिनमें उन देशों की राजनीति को अपने प्रभाव में लाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना भी

शामिल है जहाँ वे कार्य करती हैं। ये कम्पनियाँ उन सरकारों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिये एक मात्र सबसे बड़ा खतरा हैं जो अपने-पै-पै उपनिवेशवादी अर्थ व्यवस्था के शिकंजे से मुक्त करने का प्रयास कर रही हैं।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक 1973 जिस रूप में संयुक्त समिति ने पेश किया है, उस रूप में वह संक्षिप्त और कुत्सित तथा पूर्णतया राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिये विदेशी धन के देश में आने की समस्या से निपटने या उस पर नियंत्रण रखने अथवा उसे रोकने में सफल नहीं हो पायेगा। यद्यपि बहुराष्ट्रीय निगमों का उल्लेख किया गया है, उनके कार्यकलापों पर कोई जोर नहीं दिया गया है और वे विधेयक के विभिन्न उपबन्धों से बच निकलने और उन्हें बेकार साबित कर देने में मुक्त रहेंगे। उनके लिये अत्यंत कठोर उपबन्ध होने चाहियें। यह विधेयक उनसे निपटने में पूर्णतया अपर्याप्त है।

दूसरे, मजदूर संघ की अतिअनावश्यक रूप से विधेयक के सीमा-क्षेत्र में लाये गये हैं। पहले ही मजदूर संघों के जो नेता मजदूर संघ की बैठकों में भाग लेने अथवा चिकित्सा कराने इत्यादि के लिये विदेश जाते हैं उन्हें सभी प्रकार से परेशान किया जाता है। कृषक संगठनों और अन्य सामाज्यवाद विरोधी संगठनों और संघों की भी यही स्थिति है। चूंकि इन संगठनों के पास संसाधन या धन अथवा नौकरशाहों के ऊपर उनका प्रभाव बहुत ही सीमित है, उनका विदेश यात्रा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उसमें बहुत समय लगता है। यह विधेयक अतिरिक्त प्रतिबन्ध और अवरोध पैदा कर देगा और नौकरशाहों को ऐसे और अधिकार प्रदान कर देगा जिनके आधार पर वे उन्हें चिकित्सा के लिए भी विदेश जाने से रोक सकेंगे।

तीसरे, यह विधेयक हमारे देश के मजदूर संघों और जन संगठनों द्वारा अन्य देशों के मजदूर वर्ग से भाईचारे के रूप में सहायता प्राप्त करने पर अलस्य प्रतिबन्ध लगा देगा। हमारे देश में मजदूर संघ अभी भी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं। उन पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। उन पर मालिकों, राजतंत्र और नौकरशाहों द्वारा लगातार हमले किये जाते हैं और चूंकि हमारे देश के मजदूरों के वेतन बहुत कम हैं, अतः शक्तिशाली मालिकों की तुलना में, जिन्हें सरकारी वित्तीय संस्थाओं और विदेश से भी सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पूरी छूट है, मजदूर संघों द्वारा भारी वित्तीय आरक्षित निधि जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है। एक देश से दूसरे देश को पूंजी का स्थानान्तरण विषय की पूंजीवादी प्रणाली की एक मूलभूत और स्थायी विशेषता है। एकाधिकार षराने और बहुराष्ट्रीय निगम अपने संघटनों और प्रतिष्ठानों को विभिन्न प्रकार और तरीकों से सहायता पहुंचाने के लिए सदा अपनी पूंजी का स्थानान्तरण करते हैं, जिनको बहुत से मामलों में विकासशील देशों की अखंडता और स्वतंत्रता नष्ट करने में मजदूर वर्ग के संघटनों और तथा शोषण के विरुद्ध उनकी लड़ाई को कुचलने और दबावे में इस्तेमाल किया जाता है। इस विधेयक में इस पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। यद्यपि पूंजीपति पूंजी का आयात करने और विदेशों से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में स्वतंत्र बने रहेंगे, मजदूर वर्ग और कृषक संगठन अपने आतृष्ट मजदूर वर्ग संगठनों से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने से वास्तव में वंचित रहेंगे। खानों में दुर्घटनाओं के शिकार और मालिकों के विभिन्न अभियानों के शिकार लोगों को अब विदेशों के मजदूर वर्ग और अन्य संगठनों से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता और समर्थन से वंचित रह जायेंगे। विधेयक में ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनका इस्तेमाल मजदूर संघों के नेताओं और अन्य जन संगठनों के कार्यकर्ताओं को ऐसी आवश्यक चिकित्सा के लिए विदेश जाने से रोकने में किया जा सकता है जिसे वे या तो हमारे देश में प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं या जो उपलब्ध ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यह सत्तारूढ़ दल और नौकरशाहों को राजनैतिक दलों, विभिन्न संगठनों और नागरिकों को भी एक गुप्त इरादे से परेशान करने की असमीमित शक्ति प्रदान करेगा। एक पुनरीक्षण समिति स्थापित करने का सुझाव सरकार को स्वीकार्य नहीं था जो कि अनिष्टसूचक है। समिति के समक्ष जो अनेक साक्षी उपस्थित हुये थे, उन्होंने सरकारी अधिकारियों के हाथ में इतनी अधिक शक्ति (जांच इत्यादि) दे दिये जाने के संबंध में गंभीर और गहरी चिन्ता प्रकट की थी क्योंकि हमारा पिछला अनुभव यह है कि इस शक्ति का भी आवश्यक ही दुरुपयोग किया जायेगा।

अंतिम बात यह है कि इस प्रकार का विधेयक राजनैतिक और विनाशक उद्देश्यों के लिये देश में आने वाले विदेशी धन और अभिदायों को रोकने अथवा नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पायेगा । यह केवल उसे और भूमिगत कर देगा और बहु-राष्ट्रीय निगमों, एकाधिकार घरानों, पश्चिम के आसूचना अभिकरणों और सी०आई०ए० को हमारी संसदीय संस्थाओं को क्षति पहुंचाने और नष्ट करने के लिए तथा हमारे स्वतंत्र आर्थिक विकास का ध्वंस करने के लिए संघटनों और संघों तथा व्यक्तियों को धन देने और सहायता पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अतः, यह विधेयक, जिस रूप में यह है, रद्द और अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये ।

कल्याण राय

सी० के० चण्णप्पन

भारखंडे राय

नई दिल्ली;

5 नवम्बर, 1975

1973 का विधेयक संख्या 44

[क्रौरन कन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) बिल, 1973 का हिन्दो अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खींची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है)

संसदीय संस्थाओं, राजनीतिक संगमों और अधिकाधिक तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्यशील विभिन्न व्यक्तियों

का सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की मान्यताओं के

अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों या

संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या प्रातिप्य का

स्वीकार या उपयोग किया जाना विनियमित

करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके

आनुवंशिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधि-
नियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह निम्नलिखित को भी लागू होगा; अर्थात् :—

(क) भारत के बाहर भारत के नागरिक; और

संक्षिप्त नाम,
विस्तार, लागू
होना तथा
प्रारम्भ ।

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित कम्पनियों अथवा निगम निकायों के भारत के बाहर सहयुक्त, शाखा या समनुषंगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संगम” से व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम, चाहे वह निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है जिसका भारत में कार्यालय है और इसके अन्तर्गत कोई सोसाइटी, चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो तथा कोई अन्य संगठन भी है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

1860 का 21

(ख) “निर्वाचन-अभ्यर्थी” से किसी विधानमंडल के लिए निर्वाचनार्थ अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) “विदेशी अभिवाय” से किसी विदेशी स्रोत द्वारा निम्नलिखित का सदान, परिवान या अन्तरण अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(i) कोई वस्तु जो किसी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक प्रयोग के लिए दान के तौर पर दी गई वस्तु नहीं है, उस दान में जब कि ऐसी वस्तु का भारत में, उस दान की तारीख को बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) कोई करेन्सी चाहे वह भारतीय हो या विदेशी ;

(iii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (i) में यथापरिभाषित कोई विदेशी प्रतिभूति ;

1973 का 46

(घ) “विदेशी आतिथ्य” से किसी व्यक्ति को किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में यात्रा खर्चा अथवा निःशुल्क भोजन, आवास, परिवहन या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करने के लिए किसी विदेशी स्रोत द्वारा किया गया आकर अभिप्रेत है जो कि मात्र आकस्मिक नहीं है ;

(ङ) “विदेशी स्रोत” के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार और ऐसी सरकार का कोई अभिकरण ;

(ii) कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जो संयुक्त राष्ट्र या उसके किसी विशिष्ट अभिकरण, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य ऐसे अभिकरण से भिन्न है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अर्थ में कोई विदेशी कम्पनी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, अर्थात्:—

1956 का 1

(क) किसी विदेशी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी; और

(ख) इस अधिनियम के अर्थ में बहुराष्ट्रीय निगम;

1956 का 1

(iv) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित कोई निगम जो विदेशी कम्पनी नहीं है;

(v) इस अधिनियम के अर्थ में बहुराष्ट्रीय निगम;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में कोई कम्पनी उस दशा में जब उसकी शेयरपूजी के अभिहित मूल्य का आधे से अधिक या तो अकेले या संकलित रूप में निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा धारित है, अर्थात्:—

(i) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकारें,

(ii) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र के नागरिक,

(iii) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित निगम,

(iv) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में बनाए गए या रजिस्टर कराए गए न्यास, सोसाइटियां या व्यष्टियों के अन्य संगम (चाहे निगमित हों या न हों);

(vii) किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में कोई व्यवसाय संघ चाहे वह उस विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(viii) कोई विदेशी न्यास चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अथवा कोई विदेशी प्रतिष्ठान जो या तो न्यास के प्रकार का है या मुख्य रूप से किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है ;

(ix) कोई सोसायटी, क्लब या व्यष्टियों का अन्य संगम जो भारत के बाहर बनाया गया है या रजिस्टर कराया गया है;

(x) किसी विदेश का नागरिक,

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी विदेशी संस्था नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में अपने क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञात किया है ;

(घ) “विधानमंडल” से अभिप्रेत है, यथास्थिति—

(i) संसद् के दोनों सदनों में से कोई सदन;

(ii) किसी राज्य की विधान सभा अथवा ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद् भी है, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई सदन;

1963 का 20

(iii) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन गठित किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा;

1966 का 19

(iv) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली की महानगर परिषद् ;

1974 का 2

(v) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथापरिभाषित महानगर क्षेत्रों में नगर निगम;

(vi) आसाम और मेघालय राज्यों में तथा भिजोराम संघ राज्यक्षेत्र में, संविधान की षष्ठम् अनुसूची में यथा उपबन्धित जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें ;

(vii) कोई अन्य निर्वाचित निकाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधि-
सूचित किया जाए;

(छ) "राजनीतिक दल" से भारत के विभिन्न नागरिकों का कोई संगम या
उनका कोई निकाय अभिप्रेत है जो उस समय प्रवृत्त निर्वाचन प्रतीक
(आरक्षण और आर्बटन) आदेश, 1968 के अधीन राजनीतिक दल
के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर किया गया है या
रजिस्टर किया गया समझा जाता है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित
अभिप्रेत है ;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र" से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधि-
नियम, 1867 के अधीन रजिस्टर किया गया कोई समाचारपत्र अभि-
प्रेत है ;

1867 का 25

* * * *

(ञ) "समनुषंगी" और "सहयुक्त" के वे ही अर्थ हैं जो कम्पनी अधिनियम,
1956 में हैं ;

1956 का 1

(ट) "व्यवसाय संघ" से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्टर
किया गया व्यवसाय संघ अभिप्रेत है ।

1926 का 16

स्पष्टीकरण—किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में निगमित किसी निगम को
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस दशा में बहुराष्ट्रीय निगम समझा जाएगा
जब—

(क) ऐसे निगम का दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कोई समनुषंगी,
या कोई शाखा या कोई कारबार का स्थान है ; या

(ख) ऐसा निगम दो या अधिक देशों या राज्यक्षेत्रों में कारबार करता
है या अन्यथा क्रियाशील है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे
जो उस अधिनियम में हैं ।

1973 का 46

(3) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में अथवा
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में परिभाषित नहीं हैं किन्तु लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित हैं वे ही
अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

1973 का 46

1950 का 43

1951 का 43

अन्य विधियों का
सागू होने से
वर्जित न होना ।

3. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त
होंगे न कि उसके अलंकारक ।

अध्याय 2

विदेशी अभिदाय और विदेशी आतिथ्य का विनियमन

निर्वाचन-अध्यक्षों
आदि का विदेशी
अभिदाय को स्वी-
कार न करना ।

4. (1) कोई भी विदेशी अभिदाय निम्नलिखित में से किसी के द्वारा स्वीकार
नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) निर्वाचन-अध्यक्षों ;

- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र का सवाददाता, स्तम्भ लेखक, व्यंग चित्रकार, सम्पादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक;
- (ग) सरकारी सेवक या किसी निगम का कर्मचारी;
- (घ) किसी विधानमंडल का सदस्य;
- (ङ) राजनीतिक दल या उसका पदधारी ।

1956 का 1

स्पष्टीकरण—खण्ड (ग) में और धारा 9 में “निगम” से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम अभिप्रेत है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी इसके अन्तर्गत है ।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी है और भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है किसी राजनीतिक दल अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की ओर से या दोनों की ओर से किसी विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा अथवा कोई करेगी अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का करार नहीं करेगा ।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी है, भारतीय या विदेशी किसी करेन्सी का, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, किसी भी व्यक्ति को उस दशा में परिदान नहीं करेगा जब वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का इरादा उस करेन्सी का किसी राजनीतिक दल अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या दोनों को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की सम्भावना है ।

(ग) भारत के बाहर निवासी भारत का कोई नागरिक भारतीय या विदेशी किसी भी करेन्सी का, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, निम्नलिखित को परिदान नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) कोई राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा दोनों; या

(ii) कोई अन्य व्यक्ति, उस दशा में जब ऐसा नागरिक यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का इरादा ऐसी करेन्सी का किसी राजनीतिक दल या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या दोनों को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की सम्भावना है ।

(3) कोई व्यक्ति जो भारतीय या विदेशी किसी भी करेन्सी को धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संगम की ओर से किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करता है, उस करेन्सी का—

(i) किसी ऐसे संगम से भिन्न किसी संगम या संगठन को परिदान नहीं करेगा; जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को उस दशा में परिदान नहीं करेगा जब वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे व्यक्ति का इरादा ऐसी करेन्सी का उस संगम से भिन्न किसी संगम को परिदान करना है जिसके लिए वह करेन्सी प्राप्त की गई थी, या उसके ऐसा करने की सम्भावना है ।

राजनीतिक प्रकार
के संगठन द्वारा
विदेशी अभिदाय
का केन्द्रीय सरकार
की पूर्ण अनुज्ञा
के बिना स्वीकार
न किया जाना ।

5. (1) राजनीतिक प्रकार का कोई संगठन जो राजनीतिक दल नहीं है, किसी भी प्रकार का विदेशी अभिदाय केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “राजनीतिक प्रकार का कोई संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है,” से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार उस संगठन के क्रियाकलापों, अथवा उस संगठन द्वारा प्रचारित विचारधारा, अथवा उस संगठन के कार्यक्रम, अथवा किसी राजनीतिक दल के क्रियाकलापों से उस संगठन के सहयोजन को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) (क) कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है और भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है, केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संगठन की ओर से कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा या कोई विदेशी करेन्सी अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का करार नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है, किसी विदेशी करेन्सी का केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के बिना * * * किसी व्यक्ति को उस दशा में परिदान नहीं करेगा जब वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय, ऐसी करेन्सी का उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की संभावना है ।

(ग) भारत का कोई नागरिक जो भारत के बाहर निवासी है भारतीय या विदेशी किसी करेन्सी का जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई है, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना निम्नलिखित को परिदान नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संगठन, या

(ii) कोई व्यक्ति, उस दशा में जब ऐसा नागरिक यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसे व्यक्ति का आशय ऐसी करेन्सी का उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन को परिदान करना है या उसके ऐसा करने की संभावना है ।

विदेशी अभिदाय
प्राप्त करने वाले
कुछ संगमों और
व्यक्तियों द्वारा
केन्द्रीय सरकार
को सूचना देना ।

6. (1) निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला प्रत्येक संगम [जो धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संगठन नहीं है] इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना देगा कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, ऐसा विदेशी अभिदाय किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त किया है तथा उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से प्रयोग किया है ।

(2) प्रत्येक निर्वाचन-अभ्यर्थी जिसने उस तारीख से, जिसको वह ऐसे अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्देशित किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती एक सौ अस्सी दिन के अन्दर किसी समय कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बात की सूचना देगा कि उसने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया, ऐसा विदेशी अभिदाय किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त किया और उसने ऐसे विदेशी अभिदाय का किन प्रयोजनों के लिए और किस रीति से प्रयोग किया ।

7. (1) भारत का प्रत्येक नागरिक जो किसी विदेशी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय प्राप्त करता है, इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना देगा कि उसने कितनी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या कितना अन्य संदाय प्राप्त किया है और उसने ऐसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अन्य संदाय किस विदेशी स्रोत से और किस प्रयोजन के लिए प्राप्त किया या वह प्राप्त कर रहा है।

(2) जब भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी स्रोत से छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अन्य संदाय के तौर पर कोई आवर्ती संदाय प्राप्त किए जा रहे हैं तब यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में इस बाबत ठीक-ठीक जानकारी अन्तर्निष्ठ है कि भारत के ऐसे नागरिक द्वारा ऐसे आवर्ती संदाय कितने अन्तरालों में और किस प्रयोजन के लिए प्राप्त किए जाएंगे तो यह पर्याप्त होगा।

(3) छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या इसी प्रकार के संदायों के बारे में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार की सूचना देना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जब ऐसी छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या अन्य संदायों का वार्षिक मूल्य उन सीमाओं से अधिक नहीं है जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

8. धारा 4 की कोई बात उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने के बारे में उस दशा में लागू नहीं होगी जब उसके द्वारा ऐसा अभिदाय, धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

- (क) उसे या उसके अधीन काम कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह को प्राप्य वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के तौर पर किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार किया जाता है या ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा भारत में किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के तौर पर स्वीकार किया जाता है; या
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए कारबार के सामान्य अनुक्रम में संदाय के तौर पर स्वीकार किया जाता है; या
- (ग) किसी विदेशी स्रोत द्वारा सरकार के साथ किए गए किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में उस विदेशी स्रोत के अभिकर्ता के तौर पर स्वीकार किया जाता है; या
- (घ) किसी भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में उसे दिए गए किसी दान या उपहार के तौर पर स्वीकार किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा दान या उपहार केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे दान या उपहार को स्वीकार करने या अपने पास रखने के बारे में बनाए गए नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया हो; या
- (ङ) अपने नातेदार से उस दशा में स्वीकार किया जाता है जब ऐसा विदेशी अभिदाय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से प्राप्त किया गया है :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में आवश्यक नहीं होगी जब अपने नातेदार से उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम आठ हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचना दी जाती है कि उसने कितनी रकम प्राप्त की, किस स्रोत से और किस रीति से प्राप्त की तथा उसके द्वारा उसका किस प्रयोजन के लिए और किस रीति से प्रयोजन किया गया;

छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने वालों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना देना।

व्यक्ति जिनको धारा 4 लागू नहीं होगी।

(च) कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी सरकारी माध्यम, डाकघर या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत व्यवहारी से विप्रेषण के तौर पर स्वीकार किया जाता है।

1973 का 46

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम में “नातेदार” पद का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में है।

1956 का 1

विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने पर निर्बन्धन।

9. किसी विधानमंडल का कोई सदस्य, किसी राजनीतिक दल का कोई पदधारी, कोई सरकारी सेवक या किसी निगम का कोई कर्मचारी भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र में यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु भारत के बाहर यात्रा के दौरान आकस्मिक रुग्णता के कारण आवश्यक तात्कालिक चिकित्सीय सहायता के लिए ऐसी अनुज्ञा अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु जब ऐसा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया गया हो तब उसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करने की तारीख से एक मास के अन्दर केन्द्रीय सरकार को ऐसा आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देगा कि उसने ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति से स्वीकार किया।

केन्द्रीय सरकार की कुछ मामलों में विदेशी अभिदाय आदि प्राप्त करने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

10. केन्द्रीय सरकार —

- (क) किसी संगम की जो धारा 4 में * * * * * विनिर्दिष्ट नहीं है अथवा किसी व्यक्ति को कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;
- (ख) किसी संगम से जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट है, कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी ;
- (ग) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से अथवा किसी संगम से जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट संगम नहीं है, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, इस बारे में सूचना दे कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों या, यथास्थिति, ऐसे संगम ने कितना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया और किस स्रोत से तथा किस रीति से प्राप्त किया और ऐसा विदेशी अभिदाय किस प्रयोजन के लिए और किस रीति से प्रयुक्त किया गया ;
- (घ) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों से जो धारा 9 में विनिर्दिष्ट नहीं है, किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी ;
- (ङ०) किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जो धारा 9 में विनिर्दिष्ट नहीं है, इतने समय के अन्दर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के बारे में और इस बारे में सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा आतिथ्य किस स्रोत से और किस रीति से स्वीकार किया गया ;

परन्तु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, ऐसे संगम या ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी

आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, अर्थात् :—

- (i) भारत की प्रभुता और अखण्डता; या
- (ii) लोक हित ; या
- (iii) किसी विधानमंडल के लिए निर्वाचन की स्वतंत्रता या निष्पक्षता ; या
- (iv) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध; या
- (v) धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच मेलजोल ।

11. (1) प्रत्येक व्यक्ति, संगम, संगठन या अन्य व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यह अपेक्षा है कि वह कोई विदेशी अभिदाय या किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करे, ऐसे किसी अभिदाय या आतिथ्य को स्वीकार करने से पूर्व ऐसी अनुज्ञा के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर नहीं निपटा दिया जाता तो वह अनुज्ञा जिसके लिए ऐसे आवेदन में निवेदन किया गया है, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई समझी जाएगी ;

परन्तु यदि किसी आवेदन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने आवेदक को उन विशेष कठिनाइयों की सूचना दे दी है जिनके कारण उसके आवेदन को नब्बे दिन की उक्त अवधि के अन्दर नहीं निपटाया जा सकता तो ऐसा आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक तीस दिन की अतिरिक्त अवधि समाप्त नहीं हो जाती ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

12. जब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी केन्द्रीय सरकार ठीक समझती है उसका समाधान हो जाता है कि चाहे भारतीय या विदेशी कोई वस्तु या करेन्सी, जिसे किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन कर के स्वीकार किया है, उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में है, तब केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को वस्तु या करेन्सी का संदाय, परिदान, अन्तरण या उसके सम्बन्ध में कोई भी अन्य कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेशों के बिना करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर विहित रीति से तामील की जाएगी जिसे प्रतिषिद्ध किया गया है, और तब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 7 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध, जहां तक हो सके ऐसी वस्तु या करेन्सी को या उसके सम्बन्ध में लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में धनों, प्रतिभूतियों या पावनों के प्रति निर्वेशों का यह अर्थ किया जाएगा कि वे ऐसी वस्तु या करेन्सी के प्रति निर्देश हैं ।

विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए विहित प्ररूप में आवेदन किया जाना ।

अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त करेन्सी का संदाय प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

1967 का 37

* * * *

13. धारा 6 में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए—

- (क) किसी विदेशी अभिदाय का जो उसने प्राप्त किया हो, लेखा रखेगा ; और

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वालों द्वारा लेखाओं आदि का रखा जाना ।

(ख) उस अभिदाय का जिस रीति से उसने प्रयोग किया है उसका अभिलेख रखेगा ।

लेखाओं या
अभिलेखों का
निरीक्षण ।

14. यदि केन्द्रीय सरकार के पास किसी कारण से, जो लेखबद्ध किया जाएगा, यह संदेह करने का आधार है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का —

(क) किसी राजनीतिक दल द्वारा ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा ; या

(ग) किसी संगठन द्वारा ; या

(घ) किसी संगम द्वारा,

उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वर्ग 1 पद धारण करने वाले ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जिसे वह ठीक समझे (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) यथास्थिति, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या संगम द्वारा रखे गए लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और तब प्रत्येक ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को उक्त लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सूर्यास्त से पूर्व और सूर्योदय के पश्चात किसी भी उचित समय पर किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी राजनीतिक दल द्वारा रखे गए लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को ही प्राधिकृत किया जाएगा जिसने संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में कम से कम दस वर्ष तक वर्ग 1 पद धारण किया हो ।

लेखाओं या
अभिलेखों का
अभिग्रहण ।

15. धारा 14 में निर्दिष्ट लेखे या अभिलेख का निरीक्षण करने के पश्चात यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई उचित कारण है कि इस अधिनियम का या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे लेखे या अभिलेख को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें ऐसे उल्लंघनों के लिए कोई कार्यवाही की जाती है :

परन्तु यदि ऐसे अभिग्रहण की तारीख से छह मास के अन्दर ऐसे लेखे या अभिलेख के प्रकट उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही नहीं चलाई जाती है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे लेखे या अभिलेख को उस व्यक्ति को वापिस कर देगा जिससे वह अभिगृहीत किया गया था ।

अधिनियम के
उल्लंघन में
प्राप्त वस्तु या
करेन्सी का अभि-
ग्रहण ।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी के पास यदि यह विश्वास करने का उचित कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन एक हजार रूपए से अधिक मूल्य की कोई वस्तु या करेन्सी है, चाहे भारतीय हो या विदेशी जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसी वस्तु या करेन्सी का अभिग्रहण कर सकेगा ।

अभिग्रहण दण्ड
प्रक्रिया संहिता
1973 के अनु-
सार किया जाएगा ।

17. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

1974 का 2

18. कोई वस्तु या करेन्सी, जिसका धारा 16 के अधीन अभिग्रहण किया गया है, उस दशा में अधिहरणीय होगी जब ऐसी वस्तु या करेन्सी के बारे में धारा 19 के अधीन यह न्यायनिर्णयन किया जाता कि वह इस अधिनियम का उल्लंघन करके प्राप्त या अभिप्राप्त की गई है।

अधिनियम के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या करेन्सी का अधिहरण। अधिहरण का न्यायनिर्णयन।

19. धारा 18 में निर्दिष्ट किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन—

- (क) किसी प्रकार की सीमा के बिना उस सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानाय समाप्ति के अन्दर अधिहरण किया गया था; और
- (ख) ऐसी सीमाओं के अधीन, जैसी विहित की जाएं, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

20. अधिहरण के न्यायनिर्णयन का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जिससे किसी वस्तु या करेन्सी का अभिग्रहण किया गया था, ऐसे अधिहरण के विरुद्ध अप्पावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

अधिहरण के न्यायनिर्णयन से पूर्व अवसर दिया जाना।

21. (1) धारा 19 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के अन्दर निम्नलिखित को अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

अपील।

- (क) जहाँ वह आदेश सेशन न्यायालय द्वारा किया गया है वहाँ उस उच्च न्यायालय को, जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है; या
- (ख) जहाँ आदेश धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है वहाँ उस सेशन न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिहरण के न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया था :

परन्तु यदि अपील न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी एक मास की उक्त अवधि के अन्दर अपील करने से उचित कारणों से निवारित हो गया था तो वह ऐसी अपील एक मास की अतिरिक्त अवधि के अन्दर करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

(2) धारा 5 में निर्दिष्ट कोई संगठन या धारा 9 अथवा 10 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगम जो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अनुसरण में किए गए आदेश से अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले केन्द्राय सरकार के आदेश से अथवा केन्द्राय सरकार द्वारा, यथास्थिति, धारा 5 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के अन्दर, ऐसे आदेश के विरुद्ध उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर, यथास्थिति, अपीलार्थी मामूला तौर पर निवास करता है या कार्यवाही करता है अथवा अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है अथवा अपीलार्थी के संगठन या संगम हानि का दशा में ऐसा संगठन या संगम का मुख्य कार्यालय स्थित है।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील मूल डिक्री से की गई अपील समझी जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के उपबंध जहाँ तक संभव हो सकेगा, उसे उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल डिक्री की अपील को लागू होते हैं।

धारा 12 के
उल्लंघन में
अभिप्राप्त की गई
वस्तु या करेंसी के
लिए शास्ति ।

अधिनियम के
किसी उपबन्ध के
उल्लंघन के लिए
दण्ड ।

जहां वस्तु या
करेंसी अधिहरण
के लिए प्राप्य न
हो वहां अतिरिक्त
जुर्माना अधिरोपित
करने की शक्ति ।

जिन अपराधों के
लिए अलग से
दण्ड का उपबन्ध
नहीं किया गया है
उनके लिए शास्ति ।

कम्पनियों द्वारा
अपराध ।

22. यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 12 के अधीन किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की गई है, किसी वस्तु या करेंसी का चाहे भारतीय हो या विदेशी ऐसे प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करके सदाय करेगा, पारवान करेगा, अन्तरण करेगा या उसके सम्बन्ध में कोई भी अन्य कार्रवाई करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय सिद्धदोष व्यक्ति पर इतना अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा जितना उस वस्तु के बाजार मूल्य के या उस करेंसी की रकम के जिसके सम्बन्ध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उसने उल्लंघन किया है, बाजार मूल्य के बराबर हो या उसके इतने भाग के बराबर हो जितना न्यायालय ठीक समझे ।

23. (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अभि-
दाय या कोई करेंसी स्वीकार करेगा अथवा उसे स्वीकार करने में किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन की, सहायता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी प्रकार का विदेशी आतिथ्य स्वीकार करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

24. यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या करेंसी के, चाहे भारतीय हो या विदेशी सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करेगा या उसे करने में लोप करेगा जो कार्य या लोप ऐसी वस्तु या करेंसी को इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय बना देगा तो उसका विचारण करने वाला न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त कार्य या लोप के लिए ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि पर, उस दशा में जिसमें ऐसी वस्तु या करेंसी अधिहरण के लिए प्राप्य नहीं है, उस व्यक्ति पर इतना जुर्माना अधि-
रोपित कर सकेगा जितना उतनी रकम के, जो उस वस्तु या करेंसी के मूल्य के पांच गुने से अधिक न हो या एक हजार रुपये के, इनमें से जो भी अधिक हो उसके, बराबर हो, और इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना ऐसे किसी अन्य जुर्माने के अतिरिक्त होगा जो ऐसे व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है ।

* * * *

25. जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए अलग से शास्ति का उपबन्ध नहीं किया गया है वह कारा-
वास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

26. (1) जब इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

1974 का 2

1974 का 2

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा
- (ख) फर्म, सोसाइटी, व्यवसाय संघ या व्यष्टियों के अन्य संगम के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार या ऐसी सोसाइटी, व्यवसाय संघ अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम का सदस्य अभिप्रेत है।

27. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन का वर्जन।

1974 का 2

28. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने में पुलिस थान के भारसाधक अधिकारी का प्राप्त होता है।

अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण।

29. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से दुर्ई या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

30. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात् :—

- (क) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 6 में निर्दिष्ट किसी संगम द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में उसके द्वारा सूचना दी जाएगी ;
- (ख) वह सीमा जिस तक प्राप्त की गई छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं या उसी प्रकार के संदायों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देना आवश्यक नहीं होगा ;
- (ग) वह सीमा जिसके अन्दर और वह रीति जिससे कोई छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई संदाय किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसकी सूचना दी जाएगी ;

- (घ) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे किसी निर्वाचन-अभ्यर्थी को विदेशी अभिदाय की उस रकम के बारे में सूचना देनी होगी जो उसने उस तारीख से जिसको वह ऐसे अभ्यर्थी हुआ एक सौ अस्सी दिन के अन्दर किसी समय प्राप्त की हो ;
- (ङ) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जायेगा ;
- (च) धारा 12 के अधीन दिए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की रीति ;
- (छ) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें धारा 13 में निर्दिष्ट लेखे या अभिलेख रखे जाएंगे ;
- (ज) वे सीमाएं जिन तक कोई अधिकारी जो सहायक सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो अधिहरण का न्यायनिर्णयन कर सकेगा ;
- (झ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जा सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में भ्रष्टाचारी या अधिक आनुकम्पिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुकम्पिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रस्तावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

छूट देने की शक्ति

31. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जन साधारण के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि किसी संगम (जो राजनीतिक दल नहीं है), संगठन या किसी व्यक्ति को (जो निर्वाचन-अभ्यर्थी नहीं है) इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी के प्रवर्तन से छूट दी जाए तो वह, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, वैसा कर सकेगी, और जब-जब आवश्यक हो ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगी ।

अधिनियम का सरकारी संव्यवहारों को लागू न होना ।

32. इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार और किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र को सरकार के बीच हुए किसी संव्यवहार को लागू नहीं होगी ।

बी० एन० बनर्जी,
महा सचिव ।